RNI No. UPHIN/2000/3766 ISSN No. 2581-3528 ₹:20

केशव संवाद

जेष्ठ -आषाढ़, विक्रम सम्वत् 2079 (जून-2022)

भारत
शांति का अग्रदूत

श्रीलंकाई
आर्थिक संकट

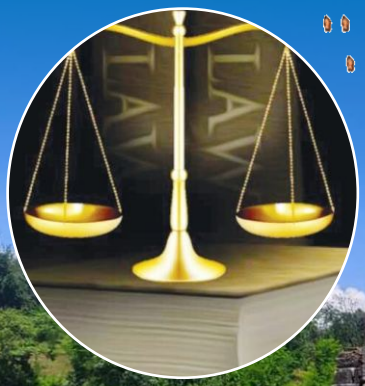

समान नागरिक संहिता

लाउडस्पीकर विवाद

मार्तण्ड सूर्य मंदिर

जून 2022, जेष्ठ-आषाढ़ विक्रम सम्वत् 2079

हिन्दी पंचांग

रविवार	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार
			1 ज्येष्ठ शु.२	2 रंभाव्रत ज्येष्ठ शु.३	3 उमा चतुर्थी ज्येष्ठ शु.४	4 महादेव विवाह ज्येष्ठ शु.५
5 अरण्यषष्ठी ज्येष्ठ शु.६	6 ज्येष्ठ शु.६	7 झाशी की रानी लक्ष्मीबाई पुण्यतिथी ज्येष्ठ शु.७	8 बुधाष्टमी दुर्गाष्टमी ज्येष्ठ शु.८	9 ज्येष्ठ शु.९	10 निर्जला स्मार्त एकादशी ज्येष्ठ शु.१०/११	11 भागवत एकादशी चंपक द्वादशी ज्येष्ठ शु.१२
12 प्रदोष वटसावित्री व्रतारंभ ज्येष्ठ शु.१३	13 ज्येष्ठ शु.१४	14 वटपूर्णिमा कबीर जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा	15 आषाढ मासारंभ आषाढ कृ.१	16 आषाढ कृ.२	17 संकष्ट चतुर्थी आषाढ कृ.३/४	18 आषाढ कृ.५
19 आषाढ कृ.६	20 आषाढ कृ.७	21 कालाष्टमी आषाढ कृ.८	22 आषाढ कृ.९	23 आषाढ कृ.१०	24 योगिनी एकादशी आषाढ कृ.११	25 आषाढ कृ.१२
26 प्रदोष आषाढ कृ.१३	27 शिवरात्री आषाढ कृ.१४	28 दर्श अमावस्या आषाढ अमावस्या	29 अमावस्या समाप्ति आषाढ अमावस्या	30 चंद्रदर्शन आषाढ शु.१		

जून 2022, त्यौहार

ज्येष्ठ-आषाढ़ 2079

09 बृहस्पतिवार	गंगा दशहरा	10 शुक्रवार	निर्जला एकादशी	11 शनिवार	गायत्री जयन्ती, गौण निर्जला एकादशी, वैष्णव निर्जला एकादशी
12 रविवार	प्रदोष व्रत	14 मंगलवार	वट पूर्णिमा व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा, अन्वाधान	15 बुधवार	मिथुन संक्रान्ति, इष्टि
17 शुक्रवार	कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी	24 शुक्रवार	योगिनी एकादशी	26 रविवार	प्रदोष व्रत
28 मंगलवार	दर्श अमावस्या, अन्वाधान	29 बुधवार	इष्टि, आषाढ़ अमावस्या	30 बृहस्पतिवार	आषाढ़ नवरात्रि, चन्द्र दर्शन

केशव संवाद

RNI No. UPHIN/2000/3766

ISSN No. 2581-3528

जून, 2022
वर्ष : 22 अंक : 06

अणंज कुमार त्यागी
अध्यक्ष
प्रे. शो. सं. न्यास

संपादक
कृपाशंकर

कार्यकारी संपादक
डॉ. प्रियंका सिंह

संपादक मंडल
डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. अखिलेश मिश्र,
डॉ. नीलम कुमारी, रामकुमार शर्मा
डॉ. मनमोहन सिंह, अनीता चौधरी
अनुपमा अग्रवाल

पृष्ठ संयोजन
वीरेंद्र पोखरियाल

संपादकीय कार्यालय
प्रेरणा शोध संस्थान न्यास
सी-56/20 सेक्टर-62, नोएडा -201301
फोन न. 0120 4565851, 2400335
ईमेल : keshavsamvad@gmail.com
वेबसाइट : www.prernasamvad.in

स्वामी पंकज कुमार की ओर से
मुद्रक/प्रकाशक सुखवीर प्रकाश द्वारा
चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि.
नोएडा से मुद्रित तथा केशव भवन
105, आर्यनगर सूरजकुंड रोड
मेरठ से प्रकाशित

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का निपटारा मेरठ की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों/फोरम में मान्य होगा। संपादक

विषय सूची

विवेक और सतर्कता से बनेगा सौहार्दपूर्ण माहौल	- प्रो. अनिल कुमार निगम	05
समान नागरिक संहिता क्यों है जरूरी	- विष्णु जैन	06
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण से तय होगा मंदिर...	- प्रमोद भार्गव	08
श्रीलंकाई आर्थिक संकट- राजनीति के लिए सबब	- प्रो. अखिलेश मिश्र	10
भारतीय आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक मार्तण्ड...	- प्रो. (डॉ.) हरेन्द्र सिंह	12
वैश्विक शांति का सर्व सवीकार्य अग्रदूत बनकर...	- डॉ. प्रियंका सिंह	15
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार की नवीन परिभाषा...	- प्रशान्त त्रिपाठी	16
समान नागरिक संहिता मुस्लिम महिलाओं के लिए...	- डॉ. सौरभ मालवीय	19
कश्मीर के पत्थरबाज अब आपके दरवाजे तक	- अनीता चौधरी	20
आदर्श शासन का प्रतिमान बनता उत्तर प्रदेश...	- डॉ. मनमोहन सिंह	22
हिन्दू आस्था के प्रति हिंसा पर सेक्युलर खेमा...	- डॉ. प्रताप निर्भय सिंह	24
रूस यूक्रेन युद्ध के पर्यावरणीय निहितार्थ	- डॉ. आनंद मधुकर	26
हिंदी मन की भाषा फिर राजनीति क्यों?	- मोनिका चौहान	27
लाउडस्पीकर और राजनीति...	- प्रतीक खरे	28
योग और संगीत दोनों तनाव दूर करते हैं!	- नीलम भागी	30
इस्लाम के नाम पर मुर्तजा जान देने को हुआ तैयार	- आशीष कुमार 'अंशु'	32
देश का वर्तमान परिदृश्य	- डॉ. वेद प्रकाश शर्मा	33
मीडिया सुर्खियां	- डेस्क	34
पत्रिका के मई अंक की समीक्षा	-	35

पाठकगण पत्रिका के बारे में अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया, 'संपादक के नाम पत्र' शीर्षक से ई-मेल (keshavsamvad@gmail.com) के माध्यम से भेज सकते हैं। चुने हुए पत्रों को पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित किया जायेगा।

ISSN No. 2581-3528

संपादकीय.....

वर्तमान कालखंड राष्ट्रीय भावों के पुनर्जागरण एवं अंतर्राष्ट्रीय साख की दृष्टि से भारत का स्वर्ण काल है। सदियों के विदेशी आक्रमण, दासता, उत्पीड़न एवं पीढ़ियों को परोसे गए सफेद झूठ के कारण भारतीय जनमानस का आत्मविश्वास कमजोर हुआ। हाल के वर्षों में पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकाने नष्ट करना, कश्मीर के अलग दर्जे को खत्म करना, राम, कृष्ण और शिव को भारतीय संस्कृति के आधार रूप में स्थापित करना, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका को भारतीय विदेश मंत्री द्वारा खरा जवाब देना, खुद को कानून से ऊपर मानने वाले कश्मीर के गुनहगारों को कानून के कठघरे में लाना, एक समान नागरिक कानून के लिए प्रयास करना आदि भारतीय जनमानस में नव-चेतना के उदय एवं नए भारत के निर्माण की शुरुआत का धोतक है।

रूस-यूक्रेन विवाद के हल के लिए विश्व बिरादरी द्वारा भारत की और ताकने, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा भारत की तारीफ करना, मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका को भारतीय विदेश मंत्री द्वारा सटीक जवाब देना, चीन के आर्थिक एवं सैन्य प्रभाव का सामना करने के लिए बने भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं अमेरिका की सदस्यता वाले क्वाड में भारत की अहम भूमिका होना, भारत की बढ़ती साख के सूचक हैं। श्रीलंका और नेपाल जैसे भारत के पड़ोसी एवं मित्र देशों को कर्ज के जाल में फसाकर उन्हें भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करने का चीन का खेल वहाँ की सरकारों एवं जनता को भी अब समझ में आ रहा है। चीनी कर्ज की बुनियाद पर खड़ी श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था के भरभराकर दरकने पर भारत ने श्रीलंका को पहली ही खेप में 9,000 मीट्रिक टन चावल, 200 मीट्रिक टन दूध पाउडर और 24 मीट्रिक टन जीवन रक्षक दवाएं भेज वहाँ के लोगों की आँखें खोलने का काम किया।

इसी तरह वैसे तो भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक एवं पारंपरिक रिश्ते शदियों पुराने हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जैसे दलों द्वारा नेपाल में भारत विरोध की राजनीति को बढ़ावा दिए जाने के कारण द्विपक्षीय रिश्तों में लगातार कड़बाहट बढ़ रही थी। स्थिति यहाँ तक आ पहुंची थी कि वर्ष 2019 में भारत को पीछे छोड़ते हुए चीन, नेपाल में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन बैठा जिससे उसे वहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल गया। शेर बहादुर देउबा के प्रधानमंत्री बनने के बाद से दोनों देशों के बीच फिर संबंधों में गर्माहट का युग शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल की नेपाल यात्रा में अपने संबंधों को जनक-दशरथ, राम-सीता, बुद्ध, एवं महावीर से जोड़कर भारत-नेपाल संबंधों की प्राचीनता और प्रगाढ़ता को रेखांकित कर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास किया।

आशा है कि समसामयिक विषयों को समाहित करता हुआ केशव संवाद पत्रिका का वर्तमान अंक सुधि पाठकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा।

संपादक

ISSN No. 2581-3528

विवेक और सतर्कता से बनेगा सौहार्दपूर्ण माहौल

प्रो. (डॉ.) अनिल कुमार निगम

पूजा स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने, मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि और बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराए जाने जैसे मुद्दों पर जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने एकजुटता दिखाई है, वह अत्यंत दूरगामी एवं सराहनीय है। इन दोनों ही मुद्दों पर होने वाली सियासत को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो दोनों ही समुदायों के बीच कोई वैमनस्य नहीं दिखता। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर हटाने अथवा स्पीकरों की आवाज कम करने का काम जिस तरीके से दोनों ही समुदाय के लोगों ने पहल कर किया, वह अत्यंत प्रशंसनीय कदम है।

हालांकि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर के वीडियोग्राफी मामले में सिविल कोर्ट के आदेश के बाद वीडियोग्राफी कराने के मामले का कुछ सियासी दल समर्थित समुदायों ने विरोध किया लेकिन वाराणसी के लमही स्थित मुस्लिम फाउंडेशन की महिलाओं ने वीडियोग्राफी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में होने वाले सर्वे से सच सामने आ जाएगा। साथ ही उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बताया और स्पष्ट किया कि ये इतिहास में दर्ज है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। ऐसे में इस विडियोग्राफी से सच सामने आ जाएगा। इन मुस्लिम महिलाओं ने मुस्लिम भाइयों से भी अपील की है कि वे सर्वे का विरोध करने की जगह उसका समर्थन करें और बाद में उन्होंने सर्वे का समर्थन भी किया।

वास्तविकता तो यह है कि लाउडस्पीकर संबंधी विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जहां मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र सरकार मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों को उतारे। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर अजान लाउडस्पीकरों के माध्यम से जारी रहती है अथवा 3 मई तक लाउडस्पीकर नहीं उतारे जाते हैं तो वे मस्जिदों के समक्ष लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उन्होंने देशभर के हिंदुओं से इसके लिए तैयार रहने की अपील भी की।

उनकी इस घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में उबाल आ गया। इसी बीच अभिनेत्री से राजनेत्री बनी अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास–मातो श्री के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। महाराष्ट्र पुलिस ने राणा दंपत्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यही नहीं, पुलिस ने हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में दोनों के खिलाफ न केवल शांतिभंग करने बल्कि देशद्रोह का केस भी दर्ज कर दिया। इसके चलते यह मुद्दा संपूर्ण देश के विभिन्न राज्यों में बहुत तेजी से फैल गया। इसके अलावा देशद्रोह कानून के दुरुपयोग पर देश भर में बहस छिड़ गई। सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) को इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा और अब केंद्र सरकार भी इस कानून को संशोधित करने पर विचार कर रही है। यही नहीं, राणा दंपत्ति को सबक सिखाने के उद्देश्य से, मुंबई नगर निगम को अचानक याद आ गया कि उनके निज आवास पर अतिक्रमण है।

लाउडस्पीकरों का मुद्दा गरमाता देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पुलिस को निर्देश दिए कि ध्वनि प्रदूषण को रोका जाए। और मंदिर, मस्जिद, चर्च अथवा गुरुद्वारों में लगाए गए अनावश्यक लाउडस्पीकरों को उतारा जाए अथवा उनकी आवाज को कम कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून–व्यवस्था प्रशांत कुमार के अनुसार प्रदेश में 40,000 ऐसे प्रकरण हैं जिसमें लाउडस्पीकर की ध्वनि को कम किया गया। 18,000 लाउडस्पीकर हटा दिए गए। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातार लोगों ने यह काम अपनी मर्जी से किया है। सभी धर्मगुरुओं ने भी इस आदेश का स्वागत किया है।

उधर लाउडस्पीकर लगाकर नवाज पढ़े जाने की मांग को लेकर बदायूं की नूरी मस्जिद के मौलवी की दायर एक याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि अजान के लिए लाउडस्पीकरों का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने लाउडस्पीकरों को हटाने अथवा उनकी आवाज कम करने में उदारता दिखाई है, वह देश भर के लिए सांप्रदायिक सौहार्द्र की बहुत बड़ी नजीर है।

फिलहाल मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि को लेकर जिस तरीके से अदालत में कई मामले चल रहे हैं और वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी मामले में 12 मई को वाराणसी सिविल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे भी सम्पन्न हो गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम फाउंडेशन की महिलाओं का बयान खासा चर्चा का विषय बना रहा, जिन्होंने, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी के विरोध के बीच इसका समर्थन किया।

निःसंदेह, ये दोनों ही पूजा और आस्था से जुड़े मामले हैं। दोनों ही समुदाय के लोगों को सियासत से दूरी बनाने की जरूरत है। यही नहीं, मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों समुदायों को अत्यंत सतर्क और विवेकपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर इस मामले में अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए सतर्कता बरती जाएगी तो समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा।

(लेखक आईएमएस, गाजियाबाद में पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय के चेयरपर्सन हैं)

ISSN No. 2581-3528

समान नागरिक संहिता क्यों है जरूरी

विष्णु जैन

समान नागरिक संहिता को लेकर भारत में चर्चा फिर आम है। किसी को ये बेहद जरूरी लग रहा है तो कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए उनके धार्मिक अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी। राजनीति भी गरमाई हुई है। इन सब के बीच एक वकील होने के नाते कानून और संविधान की जानकारी और बदलते भारत के समाज की जरूरत की दृष्टि से क्या कहता है समान नागरिक संहिता के संवैधानिक अधिकारों को भारत का संविधान और क्यों है इसकी जरूरत इस लेख के माध्यम से यही बताने और समझने की एक कोशिश है।

हाल के दिनों में यूनिफार्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर राजनैतिक माहौल काफी गरम रहा। एक ओर जहां देश की बहुसंख्यक आबादी सामान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर रही है तो वहीं अल्पसंख्यक वर्ग इसके विरोध में खड़ा है। एक तरफ उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता पर मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का भी गठन कर चुकी है तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री भी कॉमन सिविल कोड लाने का पूरा मन बना चुके हैं।

इस लेख को आगे बढ़ाने से पहले आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है समान नागरिक संहिता।

अगर देश में यूनिफार्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू होता है तो जात, धर्म से परे देश के हरेक नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। इस कानून के बाद धर्म के आधार पर कोई अलग कोर्ट या अलग व्यवस्था नहीं होगी। जबकि अभी देश में सभी धर्मो के लिए अलग अलग नियम हैं।

समान नागरिक संहिता के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि इससे समाज में एकरूपता लाने में मदद मिलेगी। समान नागरिक संहिता लागू हो जाने से विवाह, गोद लेने की व्यवस्था, तलाक़ के बाद महिलाओं को उचित भरण पोषण देने में समानता लाई जा सकेगी। संविधान के अनुच्छेद 44 में नागरिक संहिता की विस्तृत चर्चा की गई है। इससे साफ़ है कि संविधान निर्माता इस बात को लेकर आर्टिकल 44 के माध्यम से ये सुनिश्चित कर गए थे कि देश में यूनिफॉर्म आजादी के कुछ सालों बाद भारत को धर्म और जात से ऊपर रख कर यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप मे वो कानून लागू हो जिसमें संविधान के मूल अधिकारों में विधि के शासन की अवधारणा विद्यमान हो और समाज के सभी वर्गों के लिए समान न्याय प्रक्रिया हो। किसी के साथ भी न्याय और कानून को लेकर कोई भेद–भाव नही हो। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ धर्म की आड़ में महिलाओं के अधिकारों को छीनता है। भारतीय मुसलमान समाज में सरिया कानून के

ISSN No. 2581-3528

अंतर्गत एक अलग कोर्ट और कानून व्यवस्था चलती है। ऐसे में समान नागरिक संहिता का लागू न होना एक प्रकार से विधि के शासन और संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन है।

आइए समझते है कितना महिला विरोधी है मुस्लिम पर्सनल लॉ और क्या कहता है भारत का कानून : महिला अधिकारों को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक नहीं अनेक परेशानियां हैं –

1. मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहु–विवाह करने की छूट है लेकिन अन्य धर्मों में 'एक पति–एक पत्नी' का नियम बहुत कड़ाई से लागू है। बांझपन या नपुंसकता जैसा उचित कारण होने पर भी हिंदू ईसाई पारसी के लिए दूसरा विवाह अपराध है और IPC की धारा 494 में 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है इसीलिए कई लोग दूसरा विवाह करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं। जो धर्मांतरण का भी कारण बनता है। ऐसे में धर्म से ऊपर उठ कर सभी को समान अधिकार देते हुए समान कानून लागू होने चाहिए।

2. गोद लेने और भरण–पोषण करने का नियम भी हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई के लिए अलग–अलग है। मुस्लिम महिला गोद नहीं ले सकती है। अन्य धर्मों में भी पुरुष प्रधानता के साथ गोद लेने की व्यवस्था लागू है। 'गोद लेने का अधिकार' किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं है बल्कि सिविल राइट और ह्यूमन राइट का मामला है इसलिए यह भी पूर्णतः जेंडर न्यूट्रल, रिलिजन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफार्म होना चाहिए।

3. विवाह–विच्छेद के बाद हिंदू बेटियों को तो गुजारा–भत्ता मिलता है लेकिन तलाक के बाद मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता है। गुजारा–भत्ता किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं है बल्कि सिविल राइट और ह्यूमन राइट का मामला है इसलिए यह भी पूर्णतः जेंडर न्यूट्रल रिलिजन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफार्म होना चाहिए।

4. मुस्लिम समुदाय में पर्सनल लॉ के आधार पर पैतृक संपत्ति में पुत्र–पुत्री तथा बेटा–बहू को समान अधिकार प्राप्त नहीं है तथा धर्म क्षेत्र और लिंग आधारित विसंगतियां है। विरासत और संपत्ति का अधिकार किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं बल्कि सिविल राइट और ह्यूमन राइट का मामला है इसलिए यहाँ भी पूर्णतः 'भारतीय दंड संहिता' सबके लिए समान होना चाहिए।

5. पर्सनल लॉ लागू होने के कारण विवाह–विच्छेद की स्थिति में विवाहोपरांत अर्जित संपत्ति में पति–पत्नी को समान अधिकार नहीं है। जबकि यह किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं बल्कि सिविल राइट और मानव अधिकार का मामला है संविधान के आर्टिकल 44 को ध्यान में रखते हुए, यह भी पूर्णतः सबके लिए समान होना चाहिए।

6. अलग–अलग धर्मों के लिए अलग–अलग कानून लागू होने के कारण मुकदमों की सुनवाई में अत्यधिक समय लगता है। भारतीय दंड संहिता की तरह सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र समावेशी एवं एकीकृत कानून होना चाहिए ताकि वादी और न्यायालय दोनों का समय बचे।

संविधान के अनुच्छेद 44 में नागरिक संहिता की विस्तृत चर्चा की गई है। इससे साफ़ है कि संविधान निर्माता इस बात को लेकर आर्टिकल 44 के माध्यम से ये सुनिश्चित कर गए थे कि देश में यूनिफॉर्म आजादी के कुछ सालों बाद भारत को धर्म और जात से ऊपर रख कर यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप मे वो कानून लागू हो जिसमें संविधान के मूल अधिकारों में विधि के शासन की अवधारणा विद्यमान हो और समाज के सभी वर्गों के लिए समान न्याय प्रक्रिया हो।

7. पर्सनल लॉ लागू होने के कारण अलगाववादी मानसिकता बढ़ रही है। हम अखण्ड राष्ट्र के निर्माण की दिशा में त्वरित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की तरह सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र समावेशी एवं एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता लागू एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होगा।

8. आर्टिकल 14 के अनुसार देश के सभी नागरिक एक समान हैं, आर्टिकल 15 जाति धर्म भाषा क्षेत्र और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, आर्टिकल 16 सबको समान अवसर उपलब्ध कराता है, आर्टिकल 19 देश मे कहीं पर भी जाकर पढ़ने रहने बसने रोजगार करने का अधिकार देता और आर्टिकल 21 सबको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं। रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। प्रथाओं को पालन करने का अधिकार देता है, कुप्रथाओं का नहीं। देश के सभी नागरिकों के लिए एक समग्र समावेशी और एकीकृत 'भारतीय नागरिक संहिता' लागू होने से आर्टिकल 25 के अंतर्गत प्राप्त मूलभूत धार्मिक अधिकार जैसे पूजा, नमाज या प्रार्थना करने, व्रत या रोजा रखने तथा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा का प्रबंधन करने या धार्मिक स्कूल खोलने, धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने या विवाह–निकाह की कोई भी पद्धति अपनाने या मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार के लिए कोई भी तरीका अपनाने में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। आर्टिकल 37 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है। जिस प्रकार संविधान का पालन करना सभी नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटी है उसी प्रकार संविधान को शत प्रतिशत लागू करना फंडामेंटल ड्यूटी है। जिस तरह से सुनवाई के दौरान कोर्ट को भी अलग–अलग कानून होने की वजह से परेशानियों का सामान्य करना पड़ रहा है और फैसला लंबित रह जाते हैं, अब कोर्ट को भारत के बहुआयामी समाज के लिए एक समान नागरिक संहिता वाली व्यवस्था की जरूरत महसूस हो रही है। समाज का बड़ा वर्ग इस कानून के इंतजार मे पार्लियामेंट की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। इंतजार बस एक मसौदे को कानूनी रूप देने का है।

जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग आधारित अलग–अलग कानून 1947 के विभाजन की बुझ चुकी आग में सुलगते हुए धुएं की तरह है। धर्म के आधार पर बनी ये अलग अलग कानूनी व्यवस्था विस्फोटक होकर देश की एकता को खण्डित करने पर आमादा है। कानून व्यवस्था अगर एक राहत है तो समाज के शांति और सोच पर भी इसका असर पड़ता है। धर्म वाला कानून कट्टरवादिता का वो दूसरा रूप है जो देश में विघटनकारी और अलगाववादी सोच को जन्म देता है। इन सब को देखते हुए भारत के कानून व्यवस्था में समान नागरिक संहिता अत्यंत आवश्यक है।

(लेखक सुप्रीम कोर्ट में सीनियर ऐडवोकेट हैं) ■

ISSN No. 2581-3528

ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण से तय होगा मंदिर का अस्तित्व

प्रमोद भार्गव

बीती सदी के अंत तक जो भी लोग विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने गए हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देता था कि एक टूटे प्राचीन मंदिर के ढांचे पर कथित मस्जिद बनाई जा रही है। यह लेखक भी 1992 में इस स्थिति से रूबरू हुआ है। मंदिर का चबूतरा और आलीशान सफेद पत्थर के स्तंभ स्पष्ट दिखाई देते थे। इसी परिसर में एक कुआं है, जिसमें बताते हैं, वह शिवलिंग हैं, जो तोड़े गए मंदिर में स्थापित था। इस आशय के यहां बोर्ड भी लगे हैं। कूप के ऊपर लोहे का जाल डाल दिया है। 2016 में जब इस लेखक का फिर वाराणसी और इस मंदिर परिसर में जाना हुआ, तब तक ज्ञानवापी मस्जिद वर्तमान रूप में आ गई थी और मंदिर की दीवारों व स्तंभों को मार्बल से पाट दिया गया था।

दरअसल स्वतंत्रता के बाद मुस्लिमों को यह उदारता दिखाने की जरूरत थी कि तोड़े गए मंदिरों के जिन अवशेषों पर मजिस्द बना रहे हैं, उन्हें हिंदुओं को सुपुर्द कर सद्भाव की स्थाई रेखा खींच देते। तब न राम मंदिर का विवाद चलता और न अब नए विवादों के रूप में काशी और मथुरा आए होते? ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई से सर्वे कराने का फास्ट ट्रेक अदालत द्वारा दिया आदेश तो अपनी जगह है ही, सच्चाई यह भी है कि भाजपा प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम–1991 की वैद्यता को चुनौती भी दी गई है। दरअसल 1991 में केंद्र सरकार द्वारा सभी धर्मस्थलों से जुड़े विवादों में यथास्थिति बनाए रखने की दृष्टि से यह कानून लाया गया था। हालांकि अयोध्या के राम जन्मस्थल–बाबरी मस्जिद विवाद को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। इस कानून के मुताबिक 1947 से पहले जो धर्मस्थल जिस स्थिति में थे, उसी स्थिति में रहेंगे, यह बाध्यकारी शर्त जुड़ी है। इसी बूते वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को इसी कानून के तहत सुरक्षा मिली हुई है। मसलन अंजुमन भलीभांति जानता है कि मंदिर की बुनियाद पर मस्जिद टिकी है।

इस कानून की वैधता को चुनौती देने के साथ उन प्राचीन मंदिरों के पूनर्निर्माण की मांग भी की गई है, जो औरंगजेब के शासनकाल में तोड़े गए थे। हालांकि मंदिरों को तोड़े जाने और धर्मांतरण का सिलसिला इस्लामिक शासकों के भारत में आने के साथ ही शुरू हो गया था। इनमें वाराणसी का काशी विश्वनाथ

ISSN No. 2581-3528

मंदिर तो है ही, इसके अलावा मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी है। इस मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई है। साथ ही एक अन्य याचिका में दिल्ली की कुतुबमीनार परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस परिसर में 27 हिंदू व जैन मंदिर तोड़कर इसे वर्तमान रूप दिया था। हालांकि कुतुबमीनार का निर्माण दिल्ली के तोमर राजाओं ने कराया था, ऐसे साक्ष्य डॉ हरिहर निवास द्विवेदी ने अपनी पुस्तक 'दिल्ली के तोमर' में दिए हैं।'

वाराणसी पर मुस्लिमों के आक्रमण और मंदिरों को तोड़े जाने की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जिन इतिहासकारों ने इतिहास, घटना और साक्ष्यों के आधार पर लिखा उन सब ग्रंथों में मुस्लिम शासकों द्वारा वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के साथ अन्य एक हजार मंदिरों को तोड़ने का उल्लेख मिलता है। 1193 में थानेश्वर के युद्ध में पृथ्वीराज के मारे जाने तथा 1194 में काशी तथा कन्नौज के गाहड़वाल के राजा जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद गोरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को बनारस पर हमला करने के लिए भेज दिया। इस युद्ध में हिंदुओं की हार हुई और किले पर ऐबक ने कब्जा कर लिया। इसके बाद लूट और यहां के एक हजार मंदिर तोड़ने की शुरूआत हुई। लूट की संपत्ति को 1400 ऊंटों पर लादकर ऐबक ने गोरी के पास भेज दी। इससे खुश होकर गोरी ने कुतुबुद्दीन को दिल्ली का सुल्तान बना दिया और खुद अपने देश लौट गया। 1376 में फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल में बनारस में अनेक मस्जिदों का निर्माण हुआ, जो तोड़े गए मंदिरों के अवशेषों से बनाई गईं थी। यही वह कालखंड था, जिसमें तलवार के बल से हिंदुओं का बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कराया गया। हालांकि कुछ साधु–संत इस विषम स्थिति में भी मंदिरों के पुनर्निर्माण में अपने प्राणों की आहुतियां दे–देकर लगे रहे। विश्वनाथ मंदिर भी तोड़ने के बाद अवशेषों से फिर खड़ा कर दिया। लेकिन 1436 से 1480 के दौरान उत्तर भारत का शासन लोदी–वंश के हाथ आ गया। इस वंश के दूसरे बादशाह सिकंदर लोदी ने 1494 में उन सभी मंदिरों को फिर से तोड़ दिया, जिनका पुनर्निर्माण हो गया था। विश्वनाथ मंदिर को तो पूरी तरह खण्डर में तब्दील कर दिया गया था। इस तोड़–फोड़ का चित्रण संस्कृत के ग्रंथ 'त्रिस्थली सेतु' (1580) और 'वीरमित्रोदय' (1620) में मिलता है।

अकबर के शासनकाल 1585 में टोडरमल ने अपने गुरू पंडितराज भट्टनारायण के आग्रह पर विश्वनाथ मंदिर फिर से बनवाया। किंतु 1669 में क्रूरतम शासक औरंगजेब की आज्ञा से एक बार फिर पुनर्निमित सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया। इसी समय विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। सन् 2000 से पहले तक मंदिर पर बनी इस मस्जिद की पश्चिमी दीवार ज्यों की त्यों दिखती थी, जो मंदिर होने के साक्ष्य खुले रूप में प्रगट करती थी, किंतु इस दीवार को मार्बल के पाटों से चिन दिया गया है। औरंगजेब द्वारा तोड़े गए विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार बाद में इंदौर की महारानी अहल्याबाई होल्कर ने कराया था।

बहरहाल, पुरातत्वीय परीक्षण की आंख से मंदिरों के अवशेषों पर बनाई गई मस्जिदों की सच्चाई खंगाली जाएगी तो मंदिर होने के एक नहीं हजार प्रमाण मिलेंगे। दरअसल मुसलमानों ने भारत जैसे बहुलतावादी देश में रहते हुए, ऐसी उदारता कभी नहीं दिखाई कि वे मुस्लिम शासकों द्वारा किए अन्याय की सच्चाई को जानते हुए भी उसमें बदलाव के लिए एक बार भी आगे आए हों? उन्होंने अपनी जड़ों को इस्लामिक कट्टरता व क्रूरता में ही तलाशा। इसलिए वे तब भी नहीं पसीजे जब तीन दशक पहले कश्मीर से रातोंरात चार लाख से भी ज्यादा कश्मीरी पंडितों को अपने मूल निवास स्थलों से खदेड़ दिया गया था। इन स्थितियों को नजरअंदाज कर देने का परिणाम है कि हिंदू प्रतिक्रिया स्वरूप अपने धार्मिक कट्टर रूप में दिखाई दे रहे हैं। तथाकथित जो बौद्धिक हिंदुओं का अपना सनातन आधार हिंदू दर्शन और अध्यात्म में खोजने का उपदेश दे रहे हैं, वे नहीं जानते कि इस आध्यात्मिक दर्शन की आधारशिला भगवान राम और कृष्ण ने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की यात्राओं के दौरान विजय पताकाएं फहराते हुए ही रखी थी। इस विजय यात्रा में जो भी दुराचारी बाधा के रूप में पेश आए, उन्हें वहीं कुचल दिया गया।

लेखक वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं।

केशव संवाद मासिक पत्रिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ें एवं केशव संवाद को सोशल मीडिया पर **FOLLOW** करें।

केशव संवाद

FACEBOOK

Keshav Samvad @keshavsamvad @KeshavSamvad samvadkeshav

ISSN No. 2581-3528

श्रीलंकाई आर्थिक संकट-राजनीतिज्ञों के लिए सबब

प्रो. अखिलेश मिश्र

The first panacea for a mismanaged nation is inflation, the second is war. Both bring temporary prosperity; both bring permanent ruin. But both are the refuge of political and economic opportunists"

- Ernest Hemingway

चीन के वुहान शहर से निकली कोरोना महामारी ने केवल दुनिया भर की स्वास्थ्य अधःसंरचना पर गंभीर दबाव डाला अपितु इसका द्वितीयक प्रभाव कई देशों के आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के रूप में सामने आ रहे हैं। यह संकट उन देशों में ज्यादा दिख रहा है जो देश समग्र आर्थिक चरों में स्थिरता को लम्बे समय से अनदेखी कर रहे थे। इस महामारी से आपूर्ति श्रृखला की समस्या से विश्व अभी उबरने का प्रयास कर ही रहा था कि रूस–यूक्रेन युद्ध के कारण, बढती उर्जा की कीमतों ने जोर का झटका दे दिया। इस संकट का एशिया में सबसे बड़ा भुक्तभोगी श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था बनी। वर्तमान में भारत का पडोसी राष्ट्र श्रीलंका तेजी से बढती मुद्रा स्फीति, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संकट, खाद्यान्न संकट एवं बेरोजगारी जैसे गंभीर आर्थिक संकट से उत्पन्न अराजकता एवं राजनैतिक स्थिरता का सामना कर रहा है। दो साल पहले ही दो तिहाई से अधिक सांसदों वाले गठबंधन का नेतृत्त्व करने वाले प्रधानमंत्री महेंद्रा राजपक्षे को जन असंतोष के कारण न केवल इस्तीफ़ा देना पड़ा बल्कि, प्रमुख विपक्षी नेता रानिल विक्रमसिंघे को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया।

ब्रिटिश उपनिवेश से स्वंत्रता के पश्चात दक्षिण एशिया के तीन प्रमुख देश, भारत पाकिस्तान एवं श्रीलंका तीनो नें लगभग एक समान नियोजनवादी आर्थिक विकास रणनीति को देश के विकास का आधार बनाया। स्वतंत्रता के बाद के आरम्भिक तीन दशकों अर्थात् 1980 के दशक तक, श्रीलंका का आर्थिक विकास दर एवं मानव विकास के मापदंडो में प्रदर्शन, भारत एवं पाकिस्तान की तुलना में काफी बेहतर रहा। इसके पीछे का प्रमुख कारण रहा, तुलनात्मक रूप से ब्रिटिश कंपनियों द्वारा बागवानी क्षेत्र में निवेश का मजबूत आधार, सामुद्रिक परिवहन का मजबूत आधार, जनसंख्या की धीमी वृद्धि दर, मानवीय पूंजी में बेहतर निवेश, कम सैन्य व्यय, राजनैतिक स्थिरता सरकार द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य अधःसंरचना में निवेश तथा बागवानी क्षेत्र में सुधार हेतु नीतियों का निर्माण एवं ईमानदारी से क्रियान्वयन।

श्रीलंकाई आर्थिक संकट लम्बे समय तक समग्र आर्थिक व्यवस्था के कुप्रबंधन का जीवंत उदाहरण है जिसकी आधारशिला आज से तीन दशक पूर्व रखी जा चुकी थी। 1990 के दशक के वैश्विक पर्यटन बूम, खाड़ी एवं आसियान देशों में अकुशल तथा अर्धकुशल श्रम शक्ति के निर्यात के कारण श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर विदेशी मुद्रा के अंतर्प्रवाह तथा निर्यात प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार ने अर्थव्यवस्था की गति भले ही धीमी रही किन्तु जारी रही। इससे उत्साहित होकर विकास की उच्च दर की अभिलाषा एवं अपनी सरकारों को बचाने के लिए श्रीलंकाई सरकारों ने चीन एवं बहु–पक्षीय वित्तीय संस्थाओं से महंगे ऋण लेकर अपने पॉपुलिस्ट इकनोमिक एजेंडा को आगे बढ़ाना शुरू किया। बड़े–बड़े, महंगे तथा विलासिता को प्रोत्साहित करने वाले अनार्थिक प्रोजेक्ट, सस्ते ऋणों के चक्कर में शुरू किये गए जबकि, देश के लिए जरुरी अधः संरचना की परियोजनाएं रोक दी गयी। इनमे से ज्यादातर प्रोजेक्ट का ठेका चीनी कंपनियों को मिला जिन्होंने न केवल गुणवत्ता मानक से कम के उत्पाद डिलीवर किये बल्कि देश को ऋण संकट की ओर अग्रसर किया। वास्तव में चीनी कम्पनियों की दृष्टि श्रीलंका के विकास पर कम, चीन की सरकार के बैकयार्ड डिप्लोमेसी के माध्यम से एशिया में चीन के विस्तारवादी एवं उपनिवेशवाद को आगे बढ़ाना प्रमुख था ताकि भविष्य में आने वाली सरकारें चीन के चंगुल से बाहर न आ सकें।

सरकार नें कृषि एवं उद्योग क्षेत्र की न केवल उपेक्षा की तथा जरुरत की समस्त चीजों के लिए धीरे धीरे चीन पर निर्भर रहने लगी। कर सुधार एवं विवेकीकरण के नाम पर बिना प्रभाव का आंकलन किये हुए कर की दरों में कटौती की गयी जिससे एक तिहाई कर दाता कर के नेटवर्क से बाहर हो गये। VAT में 8 प्रतिशत की अचानक कमी, पे एज यु अर्न (PAYE) की समाप्ति तथा अधः संरचना के विकास एवं वित्तीयन के लिए लगाये जाने वाले 2 प्रतिशत टैक्स की समाप्ति से सरकार की आय में गिरावट आयी जबकि जनता के पास कर के बाद की बढी आय से मांग एवं पूर्ति में संतुलन होना स्वाभाविक था। आयात एवं निर्यात के मध्य असंतुलन के कारण विदेश रिजर्व में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गयी। झूठी एवं प्रतियोगी लोकप्रियता (competitive populism) के चक्कर में एक ओर जहां कर की दरें कम की गयी वही गैर विकासात्मक खर्चों में कोई कमी नही की गयी। कर की दर में कटौती का अधिकतर लाभ चीनी कम्पनियों को मिला क्योंकि, चीनी

ISSN No. 2581-3528

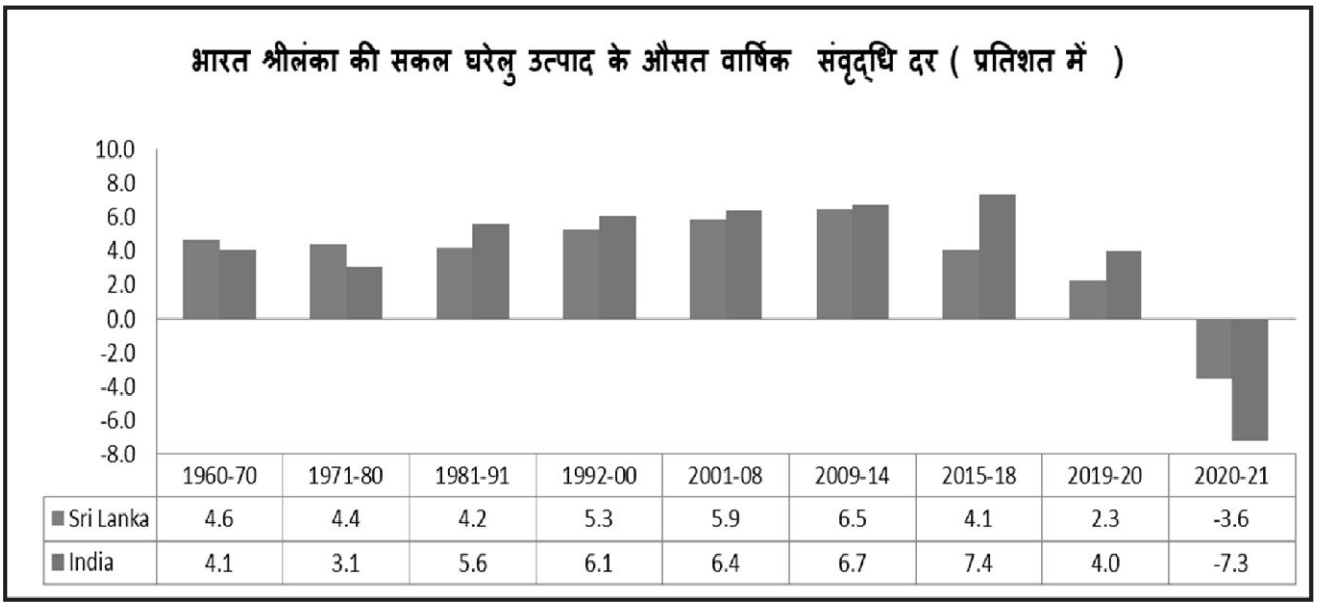

	1960-70	1971-80	1981-91	1992-00	2001-08	2009-14	2015-18	2019-20	2020-21
Sri Lanka	4.6	4.4	4.2	5.3	5.9	6.5	4.1	2.3	-3.6
India	4.1	3.1	5.6	6.1	6.4	6.7	7.4	4.0	-7.3

दबाव में आयात पर नियंत्रण कम करने से घरेलु उद्योग विशेष तौर पर अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम धीरे धीरे अप्रतियोगी होते गए। सरकार का कर सकल घरेलु उत्पाद लम्बे समय तक स्थिर रहा।

मानव विकास सूचकांक में बेहतर दिखने के चक्कर में अंतरराष्ट्रीय एवं बहुपक्षीय संस्थानों से ऋण लेकर अनाप शनाप व्यय किये गए तथा वित्तीय प्रबंधन की पूर्ण रूप से अनदेखी की गयी। सस्ते एवं सुलभ पूंजी के लालच में चीनी कम्पनियों एवं सरकारों से बड़े पैमाने पर ऋण लिए गए जिसके बदले में चीनी उत्पादों के लिए बाजार खोल दिए गये। नतीजा देश का न केवल पहले से कमजोर औद्योगिक ढांचा चरमराने लगा जिसको ठीक करने के लिए सरकारों ने कोई पहल नहीं की। जनता का मुंह बंद करने के लिए लोकप्रिय योजनायें चलायी बिना इस बात की चिंता किये हुए कि इनका वित्तीयन कैसे होगा। हेलिकॉप्टर मनी के विस्तार एवं सप्लाई चेन की बाधाओं के कारण स्फीति की दर बढ़ती जा रही थी किन्तु सरकार ने रोकने के लिए कोई ठोस पहल पर ध्यान नही दिया। तथाकथित पर्यावरणवादियों के चक्कर में सरकार नें कार्बनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रासायनिक खादों के आयात एवं उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया जिसका परिणाम कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता की कमी एवं देश में बढ़ता खाद्यान संकट।

सरकार के लापरवाह रवैये एवं वित्तीय कुप्रबंधन के कारण उपजी स्थिति से आज श्रीलंका की जनता त्राहिमाम कर रही है एवं प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद भी जनता सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। बढ़ते जन असंतोष को देखते हुए देश में आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है,

श्रीलंकाई आर्थिक संकट लम्बे समय तक समग्र आर्थिक व्यवस्था के कुप्रबंधन का जीवंत उदाहरण है जिसकी आधारशिला आज से तीन दशक पूर्व रखी जा चुकी थी। 1990 के दशक के वैश्विक पर्यटन बूम, खाड़ी एवं आसियान देशों में अकुशल तथा अर्धकुशल श्रम शक्ति के निर्यात के कारण श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर विदेशी मुद्रा के अंतर्प्रवाह तथा निर्यात प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार ने अर्थव्यवस्था की गति भले ही धीमी रही किन्तु जारी रही।

किन्तु स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे के गालब्रेथ ने लिखा था कि "एक सरकार को स्फीति से ज्यादा कोई अस्थिर नही कर सकता"। श्रीलंका में स्फीति की दर पिछले 16 माह में सात प्रतिशत से अधिक बनी रही जबकि सितम्बर माह में यह डबल डिजिट में पहुँच गयी। जहां एक ओर महंगाई बढ़ रही थी वहीं आर्थिक संवृद्धि की दर काफी धीमी पड रही थी किन्तु, समय रहते सरकारों ने कोई ठोस उपाय नही किया। स्थिति तब और गंभीर हो गयी जब देश में इतनी भी विदेशी मुद्रा नहीं बची कि जीवन रक्षक दवाएं, इंधन एवं खाद्यान भी आयात किया जा सके।

हालाँकि, राष्ट्रीय सरकार एवं नये प्रधानमन्त्री की नियुक्ति की जा चुकी है किन्तु सरकार के सामने चुनौतियाँ काफी गंभीर है। जहां एक ओर देश को भुगतान संकट से उबरना है वहीं मुफ्त की सुविधाओं की आदी हो चुकी जनता के एक बड़े वर्ग का विश्वास जीतना एवं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। कोरोना के कारण देश की आय का एक बड़ा श्रोत बर्बाद हो चुके पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए देश में स्थिरता अत्यंत आवश्यक है जिस हेतु एक व्यापक राजनीतिक सहमति का बनना जरुरी है। श्रीलंकाई संकट इस बात का संकेत देती है कि देश के नीति नियंताओं को अपने अल्पकालीन संकुचित राजनैतिक लाभ के बजाय देश के दीर्घकालीन हित में फैसला लेना चाहिए अन्यथा जिस जनता के द्वारा दो वर्ष पूर्व सर पर बिठाया था वही सत्ता से उतारने के लिए सड़कों पर उतर सकती है।

(लेखक शम्भू दयाल पीजी कॉलेज, गाजियाबाद में प्राचार्य हैं)

ISSN No. 2581-3528

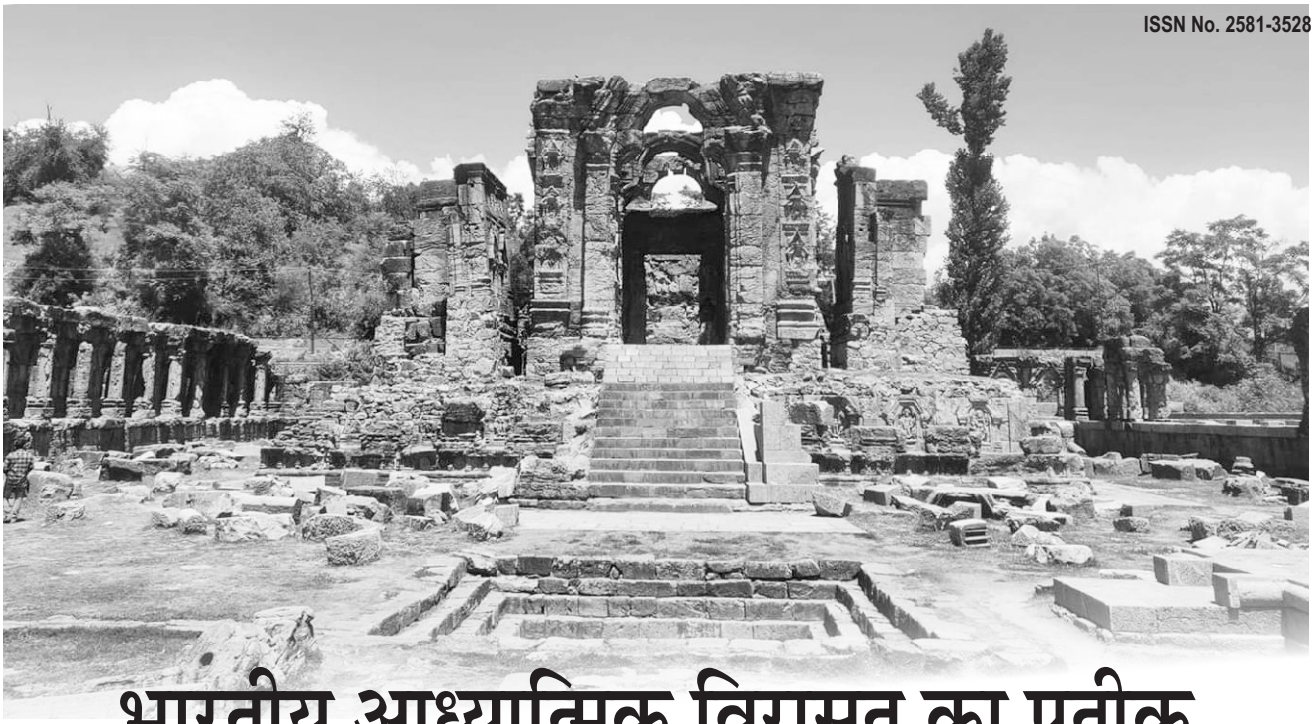

भारतीय आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक
मार्तण्ड सूर्य मंदिर

प्रो. (डॉ.) हरेन्द्र सिंह

मार्तण्ड का संस्कृत पर्याय सूर्य है तथा भगवान सूर्य को त्रिदेवों में से एक माना जाता है। वैसे तो त्रिदेवों में हम ब्रम्हा, विष्णु और महेश को ही जानते हैं लेकिन त्रिदेवों की एक और श्रेणी भी है जिसमें सूर्य, वायु और इंद्र को त्रिदेव माना जाता है। वैदिक ग्रंथों में तो सूर्य की महिमा इतनी ज्यादा है कि एक स्थान पर तो सूर्य को ही ब्रम्हा, विष्णु और रुद्र का रुप माना गया है –

एष ब्रम्हा च विष्णुश्च रूद्र एष हि भास्करः।। (सूर्योपनिषद्)

भारतीय सनातन संस्कृति में प्राचीनकाल से ही सूर्य की पूजा होती चली आई है। वेदों की अनेक ऋचाओं में भी सूर्य भगवान की स्तुति देखने को मिलती है।

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। (ऋग्वेद (1.112. 1), यजुर्वेद (7.42) और अथर्ववेद (13.2.35)

सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ताधर्ता मानते थे। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्यदेव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने 'चक्षो सूर्यो जायत' कह कर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। छान्दोग्यपनिषद में सूर्य को भगवान् विष्णु मान कर उनकी ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। ब्रह्मवैर्वत पुराण तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप मानता ही है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी सूर्य परक ही है। सूर्योपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एक मात्र कारण माना गया है, और उन्ही को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। सूर्योपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते है। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा हैं। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि वैदिक काल से ही भारत में सूर्योपासना का प्रचलन रहा है। पहले यह सूर्योपासना मंत्रों से होती थी। बाद में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ तो यत्र तत्र सूर्य मन्दिरों का निर्माण हुआ। भारत में सूर्यदेव के चार प्रमुख मंदिर हैं। इनमें उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, गुजरात के मेहसाणा का मोढेरा सूर्य मंदिर, राजस्थान के झालरापाटन का सूर्य मंदिर और कश्मीर का मार्तण्ड मंदिर शामिल है। कहा जाता है कि मार्तण्ड मंदिर का निर्माण कश्मीर के एक बहुत ही पराक्रमी राजा कार्कोट राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा करवाया गया था।

पंद्रहवीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रान्ताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया यह मार्तण्ड मंदिर कश्मीर के अनंतनाग से पहलगाम के रास्ते में पड़ता है। जिसे एक ऐसे पठार के ऊपर बनाया गया था। जहाँ से पूरी कश्मीर घाटी को देखा जा सकता है। खंडहरों और संबंधित पुरातात्विक निष्कर्षों से, यह कहा जा सकता है कि यह कश्मीरी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना था। जिसमें गंधार, गुप्त, ग्रीक, चीनी, रोमन तथा सीरियाई वास्तुकला के रूपों को मिश्रित किया गया था। सूर्य को समर्पित मार्तण्ड मंदिर जो कि पांडव लेडान के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर के दक्षिणी भाग में मार्तण्ड नामक स्थान पर है जिसका वर्तमान नाम मट्टन है तथा स्थानीय भाषा में मार्तण्ड को ही मत्तन कहा जाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म में प्रमुख सौर देवता सूर्य को समर्पित था। लेकिन 1389 और 1413 के बीच कई बार इसे नष्ट करने की कोशिश की गई। बाद में इस्लामिक शासक सुल्तान सिकंदर बुतशिकन ने इसे नष्ट

कर दिया था। यह मार्तण्ड मंदिर भारत के सूर्य मंदिरों में सबसे पुराना और अमूल्य प्राचीन आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। कश्मीर में स्थित भारत का यह सूर्य मंदिर कितना भव्य था, इसका अनुमान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि मुगलों को इस मंदिर को तोड़ने में पूरा एक वर्ष लगा फिर भी इसका अस्तित्व समाप्त नहीं किया जा सका।

सूर्य मंदिरों में यह मंदिर सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है की इस मंदिर का शिलान्यास सन् 370 – 500 में राजा राणादित्य ने किया था लेकिन मंदिर का निर्माण सन् 725–756 के मध्य पूर्ण किया गया। इस मंदिर का निर्माण सूर्य वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। कहा ये भी जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाराजा अशोक के बेटे जलुका ने 200 बीसी में करवाया था। भारत के पुरातत्त्व अन्वेषण का पिता कहे जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम का मानना है कि इस मार्तण्ड मन्दिर का निर्माण राणादित्य (578–594 ई.) ने किया था और ललितादित्य ने इस मन्दिर के चारों तरफ घेराबन्दी की थी। कनिंगघम के इस निष्कर्ष का आधार "राजतरंगिणी" के तृतीय तरंग का अधोलिखित श्लोक है–

ख्यातिं रणपुरस्वामिसंज्ञया सर्वतोगतम् ।
स सिंहरोत्सिकाग्रामे मार्ताण्डं प्रत्यपादयत् ॥
(राजतरंगिणी 3.462)

मार्तण्ड मंदिर कभी पूरे भारत का, खासकर हिमालय का गौरव हुआ करता था। चुनिंदा प्राचीन सूर्य मंदिरों में से यह एक था। इससे जुड़ी कथा महाभारत में पांडवों तक जाती है। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार –'मार्तण्ड के हिंदू मंदिर के खंडहर या आमतौर पर कहा जाने वाला पांडु–कोरु या पांडुस और कोरस का घर – (cyclopes of east) एक करेवास के सबसे ऊंचे भाग पर स्थित है। निःसंदेह, निश्चित रूप से यह महान खंडहर कश्मीर की भव्यता के सभी मौजूदा अवशेषों से आकार और स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है।' इस प्रकार से इस मंदिर का सम्बन्ध कौरवों और पांडवों से भी रहा है, जो कि इसकी ऐतिहासिकता और प्राचीनता को दर्शाता है।

मार्तण्ड का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है –

अष्टौ पुत्रासो अदितेर्य जातास्तन्वस्परि।
देवाँ उप प्रैत्सप्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत्॥
सप्तभिः पुत्रैरदितिरुप प्रैत्पूर्व्यं युगम्।
प्रजायै मृत्यवे त्वत्पुनर्मार्ताण्डमाभरत्॥

(ऋग्वेद 10.72.8–9)

अर्थात अदिति के 8 पुत्र थे जिनके नाम क्रमशः मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, भग, विवस्वान् एवं आदित्य था। अपने सात पुत्रों को लेकर अदिति देवताओं के पास चली गई एवं अपने आठवें पुत्र आदित्य (मार्तण्ड) को इसी लोक में लोगों के जनन–मरण के निमित्त छोड़ दिया। ऋग्वेद के व्याख्याकार सायण ने "जन्म –मरण" का अर्थ बताते हुए कहा है कि–

प्राणिमरणजननादीनां सूर्योदयास्तमयायत्तता स्फुटा।

अर्थात् मार्तण्ड (आदित्य) के उदय होने से लोक का जन्म होता है एवं उसके अस्त होने से मृत्यु।

मार्तण्ड मन्दिर, कश्मीर के मन्दिरों में स्थापत्य–कला की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट मन्दिर है। यह मन्दिर अखण्डित अर्थात् बिना कटे हुए शिलाओं से निर्मित है। मंदिर की राजसी वास्तुकला बेहद खूबसूरत है, जो कि इसे सबसे अलग बनाती है।

मार्तण्ड सूर्य मंदिर का मुख्य दरवाजा सूर्य के उगने की दिशा पूरब में न होकर पश्चिम दिशा में है। मार्तण्ड मंदिर का निर्माण भगवान सूर्य की उपासना के लिये करवाया गया था। इस मंदिर के वास्तुकला की विशेषता इसके मेहराब हैं। चारों ओर हिमाच्छादित पहाड़ों से घिरे इस मंदिर के निर्माण में वर्गाकार चूना–पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। पश्चिम की ओर मुड़े होने के कारण हिंदू धर्म–ग्रंथों में इसे विशेष महत्त्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य राजवंश के राजा सूर्य की पहली किरण निकलने पर यहां पर पूजा करके ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते थे।

मार्तण्ड सूर्य मन्दिर का निर्माण मध्यकालीन युग में 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान सूर्य राजवंश के राजा ललितादित्य ने कराया था। मार्तण्ड सूर्य मन्दिर दक्षिण कश्मीर भाग में स्थित छोटे से शहर अनंतनाग से 60 किमी की दूरी पर स्थित एक पठार के ऊपर स्थित है। वास्तव में यह मन्दिर भारत की एक ऐतिहासिक विरासत या धरोहर है। जिसे देखकर भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का अनुमान लगाया जा सकता है।

इस मन्दिर में एक भव्य केन्द्रीय कक्ष है जो इस मन्दिर के मुख्य देवता सूर्य को सपर्पित है। केन्द्रीय मन्दिर की ऊँचाई 75 फीट, लम्बाई 33 फीट, एवं चौडाई 33 फीट है। इसे बनाने के लिए चूने के पत्थर की चौकोर ईंटों का उपयोग किया गया है। वर्तमान स्थिति में यह मंदिर खंडहर हो चुका है। वर्तमान में इसकी ऊंचाई लगभग 20 फुट ही रह गयी है। मंदिर की दीवारों पर कई देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हैं। इस मंदिर में तब के बर्तन अभी तक मौजूद हैं।

मध्यकालीन मन्दिरों की भाँति ही मार्तण्ड मन्दिर में भी केन्द्रीय कक्ष (या मुख्य देवता का भवन) के अतिरिक्त एक लम्बा आँगन है जिसकी लम्बाई दो सौ बीस फीट एवं चौडाई एक सौ बयालीस फीट है। इस आँगन में इस मंदिर में 84 स्तंभ हैं। इन स्तंभों को नियमित अंतराल पर रखा गया। जिनके मुख आँगन में खुलते हैं। चौरासी संख्या निश्चित रूप से भगवान् सूर्य से सम्बन्धित हैं। भगवान् सूर्य के रथ के चक्के में बारह तीलियाँ होती हैं एवं इन बारह तीलियों से युक्त पहिए को सात अश्व मिलकर आगे बढाते हैं। भगवान् सूर्य की किरण सात रश्मियों से युक्त होती है और 12 राशियाँ होती हैं जिनसे होकर सूर्य अपना मार्ग तय करते हैं। दोनों विधियों से 84 की संख्या प्राप्त होती है।

मार्तण्ड मन्दिर का आन्तरिक भाग बड़ा भव्य है। इस मन्दिर की सीढ़ियों को चढ़ते हुए इसके गर्भगृह में पहुंचा जाता है, जहाँ इस मन्दिर के मुख्य देवता सूर्य की मूर्ति रहीं होगी। मुख्य देवता सूर्य के पार्श्व में बाँई व दाँई तरफ उनकी पत्नियों की प्रतिमा रही होगी। संज्ञा एवं छाया – ये दो सूर्य की पत्नियाँ हैं। कहीं–कहीं सूर्य की चार पत्नियों का उल्लेख मिलता है। उनके नाम राज्ञी, सुवर्णा, सुवर्चसा, एवं छाया हैं। केद्रीय कक्ष के मुख या प्रवेश द्वार पर पर भारतीय परम्परा में स्वीकृत सृष्टि, स्थिति एवं संहार के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की प्रतिमा को पाते हैं। सम्भवतः भगवान् सूर्य के ही त्रिविध रूप में कल्पना है। सूर्य उदयकाल में सृष्टि के अधिष्ठायक ब्रह्मा के रूप में, मध्यान्ह काल में रक्षण के अधिष्ठायक विष्णु के रूप में, एवं अस्तकाल में संहार के अधिष्ठायक शिव के रूप में स्थित हैं। इस मन्दिर में सूर्य के तीनों रूपों में उपासना होती थी।

यह मंदिर इसके उन विभिन्न कक्षों के कारण जो आकार में आनुपातिक हैं और मंदिर की समग्र परिधि के साथ संरेखित हैं के कारण कश्मीर में स्तंभ पंक्ति वास्तुकला का सबसे बड़ा उदाहरण है, और बहुत उन्नत कोटि का है तथा आज के समय में भी जटिल ही दिखता है। केन्द्रीय कक्ष के अन्तराल की बायीं दीवार पर स्पष्ट रूप से गंगा नदी की प्रतिमा है जो

ISSN No. 2581-3528

अपने वाहन घडियाल पर आरुढ हैं जो उन्हें देख रहा है। गंगा की प्रतिमा के दायीं ओर एक दासी छतरी लिए खडी है और बायीं ओर एक दासी चंवर लिए खडी है। गंगा की प्रतिमा के ठीक विपरीत दायीं दीवार पर यमुना की प्रतिमा है जो अपने वाहन कच्छप पर विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह और सभागार के बीच स्थित कक्ष में मौजूद दीवार पर की गई नक्काशी सूर्य देवता के अतिरिक्त अन्य देवताओं जैसे – विष्णु तथा मां गंगा और यमुना जैसे नदियों को दर्शाती हैं।

प्रवेशद्वार पर की गई व अंदर पूजे जाने वाले देवी देवताओं की मूर्तियों की विस्तृत सजावट के कारण इस मंदिर का प्रवेशद्वार पूर्णरूप से मंदिर की ही एक छायाप्रति दिखता है। प्राथमिक मंदिर एक केंद्रीकृत परिसर में स्थित है। माना जाता है कि इसके शीर्ष पर एक पिरामिड था। मन्दिर के शीर्ष पर पिरामिड होना कश्मीरी मंदिरों में सामान्य तौर पर पायी जाने वाली विशेषता है। मुख्य देवता सूर्य के अतिरिक्त इस मन्दिर में नवग्रह, नाग, आदि के रोचक आलेखन मिलते हैं। मन्दिर के अन्य भागों पर भी विविध अलंकरण देखने को मिलते हैं। प्रतीकों की जो दीर्घ परम्परा भारतीय धर्म में मिलती है, उसको इस मन्दिर के शिल्पियों ने मूर्त रूप दिया है।

कार्कोट राजवंश के बाद उत्पल राजवंश के सम्राट अवंतिवर्मन ने कश्मीर पर शासन किया और उनके दौर में भी मार्तण्ड मंदिर के वैभव को सुरक्षित रखा गया। हालांकि 14वीं सदी आते–आते हिंदू राजाओं का पतन होना शुरू हो गया और इस पतन का कारण था मुस्लिम प्रचारकों पर विश्वास करना। 14वीं सदी की शुरुआत में कश्मीर के शासक राजा सहदेव थे और उनके दो विश्वासपात्र थे– एक थे लद्दाख में बौद्ध धर्म के राजकुमार रिंचन शाह और दूसरे थे स्वात घाटी से आए मुस्लिम प्रचारक सिकंदर शाहमीर। ये वही समय था जब मंगोल आक्रमणकारी डुलचू ने 70 हजार सैनिकों के साथ कश्मीर पर हमला किया और अपनी जान बचाने के लिए राजा सहदेव को जम्मू के किश्तवाड़ जाना पड़ा और डुलचू ने कश्मीर में हिंदुओं को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उस समय आयी एक प्राकृतिक आपदा में वो अपने कई सैनिकों के साथ मारा गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए कश्मीर पर कब्जा करने का ये बिल्कुल सही समय था और उन्होंने ऐसा ही किया। बड़ी बात ये है कि उस समय कश्मीर के राजा रामचंद्र को सिंहासन से हटाने के लिए शाहमीर ने लद्दाख के राजकुमार रिंचन शाह के साथ मिल कर षड्यंत्र रचा और उन्हें ये लालच दिया कि अगर वो कश्मीर पर कब्जा करने में उनकी मदद करते हैं तो वो सिर्फ लद्दाख के नहीं, बल्कि कश्मीर के भी राजकुमार नियुक्त होंगे। शाहमीर के इस लालच में लद्दाख के राजकुमार फंस गए और राजा रामचंद्र का कत्ल कर दिया गया। यही नहीं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले रिंचन शाह का इस कदर हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम रिंचन शाह से मलिक सदरुद्दीन रख लिया और इस तरह वो कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक बने। जब तक कश्मीर में हिन्दू शासक रहे तब तक यह मार्तण्ड मंदिर अपनी भव्यता व मान्यता के लिए जाना जाता रहा।

सूर्योपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते है। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा हैं। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि वैदिक काल से ही भारत में सूर्योपासना का प्रचलन रहा है। पहले यह सूर्योपासना मंत्रों से होती थी। बाद में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ तो यत्र तत्र सूर्य मन्दिरों का निर्माण हुआ। भारत में सूर्यदेव के चार प्रमुख मंदिर हैं। इनमें उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, गुजरात के मेहसाणा का मोढेरा सूर्य मंदिर, राजस्थान के झालरापाटन का सूर्य मंदिर और कश्मीर का मार्तण्ड मंदिर शामिल है।

हालांकि इस समय तक कश्मीर में हिंदुओं का ज्यादा दमन नहीं होता था और मार्तण्ड मंदिर की विरासत भी सुरक्षित थी, लेकिन इस दौरान कोई शाहमीर के षड्यंत्र को नहीं समझा और एक दिन शाहमीर ने लद्दाख के राजकुमार को भी कश्मीर की गद्दी से हटा दिया और उस पर खुद बैठ गया और इस तरह शाहमीर के वंशजों ने हजारों वर्षों तक कश्मीर पर शासन किया और यहीं से हिंदुओं के धर्मांतरण और मंदिरों को तोड़ने का काम बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। वर्ष 1417 में जब सिकंदर जैनुल आबिदीन इस गद्दी पर बैठा तो उसने हिंदुओं के सामने तीन शर्तें रख दीं–पहली शर्त ये थी कि हिंदू इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें, दूसरी शर्त थी इस्लाम धर्म नहीं अपनाने पर कश्मीर छोड़ कर भाग जाएं और तीसरी शर्त ये थी कि पहली दो शर्तों को नहीं मानने पर मरने के लिए तैयार हो जाएं और उस समय बहुत से हिंदुओं ने तय किया कि वो मर जाएंगे लेकिन न तो कश्मीर को छोड़ेंगे और न ही इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे।

आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व मुस्लिम आक्रांताओं की नजर इस विश्व प्रसिद्ध मार्तण्ड सूर्य मंदिर पर पड़ी। अपने जिहादी मनसूबों को पूरा करने के लिए 15 वीं सदी में तत्कालीन मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मुरी ने इसको तोड़ने के लिए भरसक प्रयास शुरु किए। लेकिन इसकी बनावट और मजबूती के कारण उसको सफलता नहीं मिली। परन्तु वह लगातार हमला करता रहा क्योंकि उसको हिन्दू धार्मिक स्थल का नामोनिशान मिटाना था। धीरे–धीरे समय निकलता गया लेकिन मार्तण्ड सूर्य मंदिर पर होने वाले हमलों में कोई कमी नहीं आई। इन्हीं हमलों की वजह से यह मंदिर बहुत ही जर्जर अवस्था में पहुंच गया। जब हिन्दुओं पर अत्याचार बढ़ने लगे तो लोग अपनी जान बचाने के लिए घाटी को छोड़कर जाने लगे तो मार्तण्ड सूर्य मंदिर की सुध लेने वाला कोई नहीं बचा।

इसी के बाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़ा गया और हिंदुओं को इस्लाम धर्म मानने के लिए उनका दमन किया गया। इस नरसंहार के लिए सिकंदर जैनुल आबिदीन बुतशिकन भी कहा गया, जिसका अर्थ होता है, मूर्तिभंजक, मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला। जैनुल आबिदीन ने मार्तण्ड मंदिर पर कई बार हमला किया और 15वीं सदी में इस मंदिर को तोड़कर इसमें आग लगा दी गई। कहा जाता है कि उस समय मंदिर को लकड़ियों से भर दिया गया था और मंदिर दो वर्षों तक जलता रहा था और आज ये मंदिर खंडहर हो चुका है।

(लेखक सरकार द्वारा 'शिक्षक श्री' विभूषित ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, शैक्षिक प्रशासक, प्रोफेसर एवं राष्ट्रवादी चिन्तक हैं)

ISSN No. 2581-3528

वैश्विक शांति का सर्व स्वीकार्य अग्रदूत बनकर उभरता भारत

डॉ. प्रियंका सिंह

संपूर्ण विश्व में प्यार व मानवता का संदेश देने वाला भारत सदियों से वसुधैव कुटुंबकम् की अवधारणा को मानता रहा। 'पूरा विश्व एक परिवार है' इन्हीं वाक्यों को चरितार्थ करते हुए जब शिकागो की धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण देते हुए संबोधन में कहा, 'अमेरिका के भाइयों और बहनों' तो विद्वानों से भरा हुआ सभागार कई क्षण तक तालियों से गूंजता रहा, क्योंकि वे कभी सोच नहीं सकते थे कि किसी देश के लोग उन्हें भाई और बहन समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के पायदान पर खड़ा भारत आज शांति के अग्रदूत की भूमिका मे नजर आ रहा है जिसकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का यह पहला अवसर है जब भारत वैश्विक परिदृश्य में मुखर होता दिख रहा है। वह अपनी नीतियों व रणनीतियों में दूरदर्शिता के साथ–साथ पारदर्शिता व तटस्थता का समावेश करते हुए एक सख्त संदेश दे रहा है। आज विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही। सभी देशों की निगाहें भारत की रणनीति की तरफ रहती है। चाहे वह रूस–यूक्रेन का युद्ध हो या अमेरिका के साथ टू–प्लस–टू वार्ता हो या रायसीना डायलॉग हो। सभी विमर्श में भारत ने अपनी प्रतिबद्धता के साथ–साथ स्पष्टता का संदेश दिया है। इससे यह साफ झलकता है कि वैश्विक मंच पर भारत आज मुखर हो रहा है और वैश्विक शांति के लिए वह कृत संकल्पित है। अपने देश की अखंडता व स्थिरता के लिए कोई वाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। हमारी सहिष्णुता व सहनशीलता की परीक्षा कोई ना ले। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारत अपनी अस्मिता व लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की सामर्थ्य रखता है। जो भी बाहरी शक्तियां इसको खंडित करने का प्रयास करेंगी वह निश्चित रूप से असफल रहेंगी। इसको दूसरे चश्मे से देखने वाले लोगों को भी वैश्विक मंच पर करारा जवाब दिया विदेश

मंत्री एस जयशंकर जी ने। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि पूरे विश्व में सबसे समृद्धशाली संस्कृति यदि कोई है तो वह भारत की है।

रायसीना डायलॉग के मंच पर रूस और यूक्रेन युद्ध पर पूछे गए प्रश्नों पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत युद्ध समाप्ति का पक्षधर है और बातचीत ही समाधान निकालने को प्राथमिकता देता है। भारत पर कई बार मानवाधिकार हनन में वृद्धि पर प्रश्न खड़े किये जाते। इस विषय पर विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा कि हम भी दूसरे देशों के मानवाधिकारों पर अपनी दृष्टि व राय रखते हैं। साथ ही दो चश्मे से देखने वाले पश्चिमी देशों को भी याद दिलाया कि अफगानिस्तान में नागरिक अधिकारों के संरक्षण पर मौन क्यों थे? अफगान के मामले पर क्या नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था की गई थी? चीन ने भारत की सीमा पर गिद्ध नजर रखते हुए जो दुस्साहस किया उस समय यूरोपीय देशों का रुख क्या था? उस समय तो यूरोपीय देश चीन के साथ व्यापार बढ़ाने में लगे थे। इस प्रकार का रवैया एकपक्षीय है। विदेश मंत्री ने वैश्विक मंचों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से सभी को निरुत्तर कर दिया साथ ही आत्म विश्लेषण का संदेश भी दे दिया। दुनिया के 90 देशों के मंत्रियों, शिक्षाविदों व सरकारी प्रतिनिधियों के समक्ष यह घोषणा की कि भारत वैश्विक मंच पर बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। विश्व के समक्ष जो खाद्य संकट पैदा होने की संभावना जताई उससे निकलने के लिए भारत सक्षम है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत ने एक जिम्मेदार नागरिक की भांति बहु राष्ट्रीय एजेंसियों में सुधार की बात भी रखी। वैश्विक वर्चुअल सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक समन्वय की आवश्यकता है जिसके लिए विश्व व्यापार संगठन एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार होना चाहिए। मुख्य रूप से बौद्धिक संपदा नियमों में लचीले पन की आवश्यकता है। जब पूरे विश्व ने महामारी का सामना किया और वर्तमान में भी कर रहे हैं ऐसे में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उनसे सीख लेते हुए आगे की नीतियों पर विचार करना चाहिए। सप्लाई चेन को सुदृढ़ बनाकर वैक्सीन एवं दवाइयों को मंजूरी देने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऐसी मुखरता तभी संभव है जब आपका दृष्टिकोण पारदर्शी और परिपक्व होने के साथ–साथ सभी के हितों की कामना करें और प्राथमिकता वैश्विक शांति की हो।

(लेखिका शम्भूदयाल पीजी कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)

ISSN No. 2581-3528

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार की नवीन परिभाषा तय करता भारत

प्रशांत त्रिपाठी

तेजी से बदलते नए भारत की नई तश्वीर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों अमेरिकी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस. जयशंकर का एक बयान बहुत चर्चित रहा। बताते चलें कि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा था, भारत और अमेरिका मानवाधिकारों की रक्षा जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता साझा करते हैं।हम इन्हीं मूल्यों के आधार पर भारतीय साझेदारों से जुड़ते हैं। साथ ही हम भारत में हुईं कुछ घटनाओं की निगरानी कर रहे हैं, जिनमें भारत में कुछ राज्यों,पुलिस और जेल के अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों के हनन में वृद्धि हुई है। इस पर बड़े बेबाकी एवं नीडरता से पलटवार करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने कहा कि 'हम भी दूसरे देशों में मानवाधिकारों की स्थिति पर राय रखते हैं और इनमें अमेरिका भी शामिल है।' उनके इस बयान ने मानवाधिकारों के मसले पर अमेरिका को आईना दिखाने का काम किया। अमेरिका के सामने भी कोई खड़ा हो सकता है, यह भारत ने बताया है। मगर यह केवल कूटनीतिक पैंतरे की बात नहीं है। मानवाधिकार अधिकार हैं या हित साधन का औजार हैं, दुनिया को अब इस दृष्टि से सोचना पड़ेगा। भारत ने यह बयान ही नहीं दिया, बल्कि यहां से एक बहस शुरू हो गई है। क्योंकि जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं या सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो यह देखना चाहिए कि वास्तव में आपकी वरीयता क्या है और इसे लेकर आपकी सोच, अवधारणा और इससे भी आगे, 'दर्शन' क्या है?

जब इसकी परख होती है तो मुद्दा उठाने वालों का इतिहास खंगाला जाता है कि आप जो बात कर रहे हैं, वह सिर्फ बात करने के लिए नहीं कर रहे हैं। फिर आपकी संस्कृति में अगर खून के धब्बे हैं, तो वह भी सबको नजर आने लगती है। मानवाधिकार के मामलों में भी कुछ ऐसा ही है कि जो सबसे ज्यादा नसीहत देते हैं,लोगों को आंखें दिखाते हैं, उनका रिकॉर्ड इस मामले में सबसे ज्यादा खराब है।

वास्तविकता यही है कि अभी तक पश्चिमी देश ही भारत समेत तमाम देशों को मानवाधिकारों पर उपदेश देते आए हैं। जबकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में जारी मानवाधिकारों के उल्लंघन पर बोलने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। दरअसल अमेरिका अपनी ताकत के दम पर खुद ही दुनिया में मानवाधिकारों का ठेकेदार बन बैठा है। मानवाधिकारों को लेकर अमेरिकी संस्थाओं द्वारा तय विमर्श ही अंतिम सत्य माना जाता रहा। पश्चिम के दबदबे वाला अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी इसी विमर्श को आगे बढ़ाता रहा। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर भी पश्चिमी देशों का ही वर्चस्व है तो अमेरिका जैसे देशों ने गरीब या विकासशील देशों की सरकारों पर दबाव बनाने के लिए वित्तीय सहायता को इन देशों में मानवाधिकारों की स्थिति से जोड़ दिया। किसी गरीब या विकासशील देश में उन्हें रास न आने वाली सरकार बनती तो वे उस पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाकर उसे बैकफुट पर धकेलने लगते हैं। इसे कुछ इस प्रकार से भी समझा जा सकता है।एक तो पश्चिम में जहां पहले नस्लीय दुराग्रह का घृणित और रक्तरंजित इतिहास रहा और आधुनिक काल में मानवाधिकार को पूंजीवाद का रणनीतिक औजार बनाया गया है। दूसरा, चीन जैसे देश, जहां साम्यवादी चोले में वामपंथ तक सीमित वर्गीय पूंजीवाद है, और उत्पादन की भीमकाय चक्की में हर पल

ISSN No. 2581-3528

मानवाधिकारों को पीसा जाता है। खून और आंसू बहते हैं किंतु कोई खबर बाहर नहीं आती। तीसरा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जहां मानवाधिकार एक मजहब या वर्ग विशेष के लिए सीमित रखे गए हैं क्योंकि एक के लिए श्रेष्ठता शेष को जड़ से, निर्ममतापूर्वक समाप्त करने का लिखित आह्वान उनकी मजहबी किताबों का हिस्सा है। पश्चिम प्रायोजित इस विमर्श को चुनौती देने का साहस किसी में नहीं था। कारण यही कि पश्चिमी मानवाधिकार संस्थाएं और अंतरराष्ट्रीय मीडिया उसके बचाव के लिए सदैव तत्पर था। ऐसी स्थिति में जयशंकर का बयान न केवल क्रांतिकारी, बल्कि स्वागत योग्य भी है।

आखिर क्या है मानवाधिकार! – मानवाधिकार के प्रसंग में सबसे प्रख्यात अभिलेखों के रूप में वर्ष 1215 के इंग्लैंड के मैग्नाकार्टा अभिलेख, 1628 के अधिकार याचिका पत्र, 1679 के बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियिम, 1689 के अधिकार पत्र, 1789 के फ्रांस की प्रसिद्ध मानवाधिकार घोषणा, 1779 की अमेरिकी स्वतंतत्रा की घोषणा को माना जाता है। वर्ष 1936 में सोवियत संघ (रूस) में नागरिक अधिकारों को संवैधानिकता प्रदान की गई। 1946 में जापान, 1948 में स्विट्जरलैंड, 1950 में भारत में तथा 1954 में चीन में नागरिक अधिकारों की संवैधानिक व्यवस्था की गई। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को की गई। इसमें मानवाधिकारों से संबंधित 30 अनुच्छेद शामिल किए गए थे। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र के अनुच्छेद 2 में उल्लेख किया गया है कि दुनिया के सभी मनुष्य अधिकारों के हकदार हैं। बिना किसी भेदभाव जैसे कि जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, संपत्ति, जन्म तथा राजनीतिक और सामाजिक राय या स्थिति में भेदभाव विहीन समाज की स्थापना करना ही इसका मूल कार्य है।

मानवाधिकार संगठनों पर वामपंथी : उदारवादियों का सदा से नियंत्रण रहा है और वामपंथी राजनीति वर्ग संघर्ष पर आधारित रही है। ये संस्थाएं वामपंथी उदारवादी विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों का वर्ग संघर्ष को जन्म देने और उसकी तीव्रता बढाने के लिए उपयोग करने लगीं। मानवाधिकार वर्गाधिकार बना दिए गए और वर्ग वोट बैंक, चूंकि बढ़ा हुआ वर्ग संघर्ष अक्सर अलगाववाद को जन्म देता है तो तमाम विभाजनकारी शक्तियों को इस उपक्रम में अपनी दाल गलती दिखी। परिणामस्वरूप संप्रदायों के धार्मिक अधिकारों को व्यक्ति के मानवाधिकारों से जोड़ दिया गया। इसने समस्या को और विकट बना दिया, क्योंकि जिन संप्रदायों में दूसरों का मतांतरण करना कर्तव्य बताया गया है तो उन संप्रदायों के मानने वाले का दूसरों का मतांतरण करना उसके निजी मानवाधिकार में गिना जाने लगा। अगर कोई उसे ऐसा करने से रोके तो मानवाधिकार उल्लंघन के नाम पर ये संस्थाएं हंगामा करने लगतीं नतीजा यह हुआ कि मतांतरण का धंधा चलाकर पश्चिम का प्रभाव एशियाई और अफ्रीकी देशों में बढ़ाने में लगीं तमाम संस्थाएं भी मानवाधिकार के रथ पर सवार हो गईं।

मतांतरण की धार्मिक स्वतंत्रता मानवाधिकार और इस पर कोई भी रोक–टोक मानवाधिकार हनन बन गया। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन आन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआइआरएफ जैसी वे संस्थाएं, जो अमेरिकी सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं, विभिन्न देशों को धार्मिक स्वतंत्रता एवं मानवाधिकारों का सर्टिफिकेट प्रदान करने वाली मठाधीश बन बैठीं। इन संस्थाओं की रिपोर्ट कभी निष्पक्ष एवं न्यायसंगत नहीं रही। पश्चिम के निहित स्वार्थों के अनुरूप विमर्श गढ़ना ही उनका उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि जहां चर्च में छोटी–मोटी चोरी को भी उन्होंने भयंकर मानवाधिकार उल्लंघन और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन बताया।

वहीं कश्मीरी हिंदुओं और रियांग हिंदुओं के निर्मम नरसंहारों पर चुप्पी साधे रखी। अमेरिकी सरकार ने यूएससीआइआरएफ जैसी संस्थाओं को दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने और नीतिगत सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम सौंप रखा है, लेकिन खुद अमेरिका के भीतर मानवाधिकारों एवं धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई बात नहीं होती। यह चिराग तले अंधेरे वाली स्थिति है। भला यह कैसे विस्मृत किया जा सकता है कि आचार्य रजनीश के बढ़ते प्रभाव के कारण चर्च के दबाव में उन्हें अमेरिका और अन्य ईसाई बहुल देशों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठकर चर्च की खिड़की का कांच टूटने जैसी घटनाओं को लेकर मानवाधिकारों और धार्मिक सहिष्णुता का राग छेड़ा था। वहीं अमेरिका के केंटुकी स्थित स्वामीनारायण मंदिर में हिंदू देवी–देवताओं की मूर्तियों पर कालिख पोतकर मंदिर की दीवारों पर 'जीसस इज द ओनली टू लार्ड' लिखे जाने जैसी घटनाओं की आपने कभी चर्चा नहीं सुनी होगी। 2001–2019 के बीच अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर इस प्रकार के 19 हमले हुए। इतना ही नहीं, अमेरिका में चर्च ने योग को लेकर घृणा फैलाने का खुला अभियान छेड़ रखा है। सिएटल के बिशप तो सार्वजनिक रूप से योग को 'शैतान की पूजा' बता चुके हैं। अमेरिका में अश्वेतों के साथ भेदभाव और 'ब्लैक लाइव्ज मैटर' जैसे आंदोलनों के बारे में आपने सुना होगा, परंतु उनसे भी ज्यादा बुरी स्थिति वहां के रेड इंडियन आदिवासियों के मानवाधिकारों की है, जो अमेरिकी संघीय गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आने से लेकर आज तक नहीं सुलझी। अमेरिका के राष्ट्र निर्माताओं ने भारी नरसंहार के बाद वहां के आदिवासी राज्यों को अमेरिकी परिसंघ में शामिल करते समय तमाम

ISSN No. 2581-3528

लिखित संधियां की थीं, जो बाद में तोड़ दी गईं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को सही भी ठहरा दिया।

अमेरिकी सरकार इन लोगों की पुश्तैनी जमीनों को स्थायी न्यास के तहत अपने कब्जे में लिए हुए है, जैसे कि मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के मामले में किया जाता है। उनसे होने वाली आमदनी के अरबों डालर अमेरिकी अधिकारी हजम कर चुके हैं। यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक जा चुका है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विमर्श पर अमेरिकी दबदबे के चलते अधिकांश लोग इन मुद्दों से अनभिज्ञ हैं। ऐसे में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के विदेश मंत्री का इन मुद्दों की ओर संकेत करना स्थापित पाश्चात्य विमर्श को साहसिक वैचारिक चुनौती है, जिसे तथ्यों का साथ मिलने वाला है। वर्ष 2021 की मानवाधिकार रिपोर्ट के अनुसार मानवाधिकार उल्लंघन के शीर्ष 5 देश मिस्र, सीरिया, यमन, चीन तथा ईरान हैं। इनमें अमेरिका का नाम नहीं है परंतु अगर अमेरिका पर नजर डालें तो मानवाधिकार से संबंधित विश्व रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका अपनी मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहा है, विशेष रूप से नस्लीय न्याय के क्षेत्र में।

अमेरिका में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले आंखें खोलने वाले हैं। मोंटगोमरी में 1955 में एक अश्वेत महिला रोजा पार्क द्वारा अपनी सीट एक श्वेत व्यक्ति को देने से मना करने पर रोजा को जेल भेज दिया गया था। 21 फरवरी 1965 को एक रैली में भाषण देते वक्त अश्वेत मंत्री मैलकम एक्स को गोलियों से भून दिया गया था। पुलिस ने हड़बड़ी में 5 अश्वेतों को गिरफ्तार किया जिनमें दो को सजा हुई। नेटफ्लिक्स पर आई सीरीज इन दोनों को ही मैलकम एक्स की हत्या का आरोपी नहीं मानती जिसके बाद अमेरिकी पुलिस एक बार फिर इस केस को खोल रही है।

हाल की ही बात है, न्यूयॉर्क में रिचमंड हिल के पास 2 सिख युवकों को मार दिया गया। अप्रैल माह की शुरूआत में यहां एक बुजुर्ग सिख पर हमला हुआ था। पगड़ी पहनने वालों को ओसामा बिन लादेन कह कर बुलाया जाता है। वर्ष 2021 में इंडियाना राज्य में भी 4 सिखों की हत्या का मामला सामने आया। 5 अगस्त 2012 को अमेरिका के औक क्रीक शहर के विस्कॉन्सिन गुरुद्वारे में गोलीबारी की गई जिसमें 6 सिखों की मौत हो गई। 2013 में, अश्वेत किशोरी ट्रेवॉन मार्टिन को गोली मारने वाले जॉर्ज जिम्मरमैन के बरी होने के बाद, सोशल मीडिया पर हैशटैग #blacklivesmatter के साथ जमीनी स्तर पर प्रणालीगत नस्लवाद को समाप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन ने तब और जोर पकड़ लिया जब 25 मई, 2020 को 46 वर्षीय अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड को 20 डॉलर के नकली बिल के जुर्म में मिनियापोलिस के एक श्वेत पुलिसकर्मी डेरेक चाउविन ने गिरफ्तार किया और उसकी गर्दन को अपने पैरों से 9 मिनट तक दबा कर रखा जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद अमेरिका सहित यूरोपीय देशों (पेरिस एवं लंदन) मे भी ब्लैक लाइव्स मैटर के तहत पुलिस बर्बरता तथा नस्लीय हिंसा के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया यूएनएचआरसी ने कई मौकों पर पाया है कि आस्ट्रेलिया में मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया। आस्ट्रेलिया में अप्रवासी समुदाय के साथ क्रूरता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा होने के बाद भी जारी रही। आस्ट्रेलिया के मूलनिवासी समूहों द्वारा भी सरकार से अपने मानवाधिकारों के लिए अपनी संस्कृति, संपत्ति, जमीन, कानूनी समानता तथा नस्लीय समानता के लिए आंदोलन चलाए जा रहे है।

पिछले 15 वर्षों में विश्व के कई आंतकवादी संगठनों ने करीब 50,000 लोगों को जान से मारने का जिम्मा लिया। भारत में 1993 से लेकर अबतक हुए आतंकवादी हमलों में करीब 1200 लोग मारे गए तथा करीब 100 से अधिक पुलिस और सेना के जवान भी शहीद हो गए। मानवाधिकार के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद साबित हो रहा है। परंतु अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे नारे लगाकर आतंकियों की पैरोकारी करने वाले भी हैं। दूसरी ओर, जहां पर वास्तव में मानवाधिकार कुचले जा रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। मानवाधिकार के जो अलंबरदार हैं, उनसे यह पूछना चाहिए कि जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, तब करीब 30 लाख लोगों की हत्या हुई थी। यह मानवता के भीषणतम नरसंहारों में एक था। तब इनके मानवाधिकार के लिए किसी ने चूं तक भी की थी क्या? दूसरा, यदि चीन का उत्पादन तंत्र पश्चिम की अर्थव्यवस्था को नहीं झकझोरता तो क्या पश्चिम में उईगर मुसलमानों के लिए कोई बात उठने वाली थी। तीसरा, मुस्लिम जगत में विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है। परंतु चीन के साथ पैंग बढ़ाते पाकिस्तान ने क्या कभी उईगर मुसलमानों पर कुछ बोला? यानी यह मानवाधिकारों का मामला नहीं है बल्कि चुनिंदा चुप्पियों का खेल है।

जब भारत मानवाधिकार की बात कहता है तो उसके कहने का आधार इसलिए है क्योंकि हम ब्लैक लाइव्स मैटर जैसी सीमित सोच और राजनीतिक उद्देश्य से छेड़े गए संकीर्ण आंदोलन के पिछलग्गू भर नहीं हैं। हम ऑल लाइव्स मैटर की बात करने वाला समाज और राष्ट्र हैं।

भले ही पश्चिमी पूंजीवाद और इसके साथ कदमताल करते चर्च का दामन उपनिवेशवादी बर्बरताओं और लाखों मूल निवासियों के खून से रंगा हो, या इस्लाम को बढ़ाने के लिए लाखों लोगों की हत्याएं की गई हों, भारत ऑल लाइव्स मैटर की बात करता है।

पश्चिम काले रंग पर कुछ भी कहे, हम तो काले रंग को श्याम, शनि देव और मां काली के रूप में पूजते आए हैं।

भले चर्च और इस्लाम लिंग के कारण भेद करते हों, परंतु हमने महिलाओं को पुरुष के उपभोग की ऐसी वस्तु कभी नहीं माना जिसमें ना रूह है और ना जिसके कुछ अधिकार हैं। हम कहते हैं कि मानवाधिकार की बात होने पर उसके पीछे के इतिहास को भी परखा जाए। यह परख प्रारंभ तक जानी चाहिए और मुझे लगता है कि मानवाधिकारों का एक नया घोषणापत्र होना चाहिए जिसमें विभिन्न देशों के सांस्कृतिक दर्शन और उनके कारनामों का भी वर्णन होना चाहिए। अगर भारत में जाति के आधार पर अव्यवस्था है तो उससे कोई नकारा नहीं, परंतु उसे हमारे समाज ने हमेशा एक कुरीति की तरह देखा और लंबे समय से सामाजिक समरसता पर कार्य कर रहे हैं, परंतु पश्चिम इसे खूब बढ़ा–चढ़ा कर पेश करता है और इसकी आड़ में लाखों–करोड़ों लोगों की हत्याओं को ढक लेता है। अब ये चीजें स्वीकार नहीं की जा सकतीं। यहां जब लोग अपने ईष्ट की आराधना करते हैं तो–प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो का उद्घोष करते हैं। यह मानवाधिकार का सबसे बड़ा चार्टर, सबसे बड़ा उद्घोष है।

जब भारत प्राणियों में सद्भावना की बात करता है तो यह दर्शन मानव से आगे जीव–जगत तक जाता है। दुनिया के लिए यह वह समय है जब उसे मजहबी या हित आधारित संकुचित अवधारणाओं को छोड़ना होगा।

इस पर जयशंकर द्वारा दिया गया जवाब निश्चित रूप से भविष्य में मानवाधिकार की नई परिपाटी के साथ–साथ संपूर्ण विश्व के समक्ष मानवाधिकार की नई दिशा एवं परिभाषा तय करेगा। **(लेखक अधिवक्ता-उच्चतम न्यायालय, दिल्ली एवं राष्ट्रीय उप-सचिव ह्यूमन राइट एससोसिएसन ऑफ इंडिया हैं।)** ■

ISSN No. 2581-3528

समान नागरिक संहिता मुस्लिम महिलाओं के लिए सम्मानजनक कानून है

डॉ. सौरभ मालवीय

समान नागरिक संहिता को लेकर देशभर में एक बार फिर से बहस जारी है। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात बार–बार उठती रही है, परन्तु इस पर विवाद होने के पश्चात यह मामला दबकर रह जाता है। किन्तु जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की वापसी हुई है, तब से यह मामला फिर से चर्चा में है। जहां भाजपा इसे देशभर में लागू करना चाहती है, वहीं मुस्लिम संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि मुस्लिम समाज में विवाह कानूनों को लेकर ब्रिटिश शासनकाल से ही विवाद होता रहा है, क्योंकि मुसलमानों में बहु पत्नी प्रथा का चलन है। शरीयत के अनुसार पुरुषों को चार विवाह करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय होगी, यह सर्वविदित है। पति जब चाहे पत्नी को तीन तलाक कहकर घर से निकाल देता है। ऐसी स्थिति में महिला का जीवन नारकीय बन जाता है। शाह बानो प्रकरण ने लोगों का ध्यान इस ओर खींचा था। वर्ष 1978 में शाह बानो नाम की वृद्धा को उसके पति ने तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया था। उसके पांच बच्चे थे। पीड़ित महिला के पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं था। उसके पति ने उसे गुजारा भत्ता देने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। इस पर महिला ने न्यायालय का द्वार खटखटाया। इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने में सात वर्ष लग गए। वर्ष 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने उसके पति को निर्देश दिया कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को जीविकोपार्जन के लिए मासिक भत्ता दे। न्यायालय ने यह निर्णय अपराध दंड संहिता की धारा–125 के अंतर्गत लिया था। विदित रहे कि अपराध दंड संहिता की यह धारा सब लोगों पर लागू होती है चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से संबंध रखते हों। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बेहतर हो जाती, परन्तु कट्टरपंथियों को यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया। उन्होंने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की एक संस्था का गठन किया तथा सरकार को देशभर में आन्दोलन करने की चेतावनी दे डाली। परिणामस्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी कट्टरपंथियों के आगे झुक गए था तथा उनकी सरकार ने 1986 में संसद में कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया। इससे शाह बानो के सामने जीविकोपार्जन का संकट खड़ा हो गया। मानवता के नाते जिस समाज को वृद्धा की सहायता करनी चाहिए थी, वही उसका शत्रु बन गया। आज भी यही स्थिति है। मुस्लिम समाज में शाह बानो जैसी महिलाओं की कमी नहीं है। मुस्लिम समाज में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं कि पति ने तीन तलाक कहकर पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी स्थिति में पीड़ित महिला का कोई साथ नहीं देता। मुस्लिम समाज की महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए पहले भाजपा सरकार ने तीन तलाक को रोकने का कानून बनाया और अब समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रयासरत है। भाजपा ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि यदि भाजपा सत्ता में आती है, तो देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। वर्ष 1998 में भी भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का वादा किया था।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में सामान नागरिक संहिता कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले हमने समान नागरिक संहिता कानून लाने की घोषणा की थी। अब इसे विधानसभा से पारित करके कानून बना लिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि इसे देश–प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए, ऐसा करना अत्यंत आवश्यक है। उनका यह भी कहना है कि प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता कानून लागू करने पर विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के बारे में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिए एक सम्मान का विषय है।

उल्लेखनीय है कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत देश में निवास करने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून का प्रावधान किया गया है। धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसके लागू होने की स्थिति में देश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर एक ही कानून लागू होगा, अर्थात कानून का किसी धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में अलग–अलग धर्मों के पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएंगे। वर्तमान में देश में कई निजी कानून लागू हैं, उदाहरण के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसाई पर्सनल लॉ एवं पारसी पर्सनल लॉ। इसी प्रकार हिंदू सिविल लॉ के अंतर्गत हिंदू, सिख एवं जैन समुदाय के लोग आते हैं।

समान नागरिक संहिता लागू होने से इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तथा विवाह, तलाक एवं संपत्ति के मामले में सबके लिए एक ही कानून होगा। इसके दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताते हुए सरकार से इसे लागू न करने की अपील है। बोर्ड का कहना कि भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म के अनुसार जीवन जीने की अनुमति दी है। इसे मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है।

निःसंदेह देश में समान नागरिक संहिता लागू होने से मुस्लिम समाज की महिलाओं का जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा। यह कानून मुस्लिम समाज से बहुपत्नी प्रथा का उन्मूलन करने में प्रभावी सिद्ध हो सकेगा, क्योंकि इस समाज के पुरुष अपनी पत्नी के जीवित रहते दूसरा, तीसरा एवं चौथा विवाह नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, संपत्ति में भी पुत्रियों को पुत्रों के समान ही भाग मिलेगा। इसमें दो मत नहीं है कि समान नागरिक संहिता मुस्लिम महिलाओं के लिए सम्मानजनक कानून है, जो उन्हें सम्मान से जीवन जीने का अधिकार देगा।

(लेखक उ.प्र. सरकार में हैप्पीनेस/अनुभूति पाठ्यक्रम के प्रभारी हैं)

■

ISSN No. 2581-3528

कश्मीर के पत्थरबाज अब आपके दरवाजे तक

अनीता चौधरी

हम कश्मीर को जब भी याद करते हैं आतंक के साथ साथ वहाँ की पत्थरबाजी भी अनायास ही हमारे दिमाग मे पूरी तस्वीर के साथ उभर आती है। एक हाथ में पत्थर और दूसरे में एके 47 ये दृश्य जब भी आँखों के सामने से गुजरता है स्थिति और परिस्थिति दोनों में ही डरावना महसूस होता है। विरोध के नाम पर इस तरह के कृत्य हमेशा आक्रामक, क्रूर और जेहादी मानसिकता में डूबा हुआ ही दिखाई देता है। हालांकि कश्मीर से जब से धारा 370 हटाई गई है इस तरह के दृश्य, इस तरह की परिस्थितियों मे थोड़ी कमी आई है। वैसे पत्थरबाजी, आतंक, एके 47, बारूद, बम इन दृश्यों को देख कर मैं हमेशा सोचती थी कि ये दहशत भरे आतंकी माहौल बनाने के लिए इस धरातल पर सबसे पहले आगमन किसका हुआ होगा, बम का? बारूद का? बंदूक का? सारभौमिक या इस भूमि पर भय का माहौल पैदा करने के लिए सबसे पहले हथियार ये पत्थरबाज ही थे। जिन्होंने एक हाथ में पत्थर और दूसरे में बारूद जैसी कोई चीज सर्वप्रथम एक प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल की और सफलता की जरा सी भी संभावना बनी तो जेहाद के नाम पर इस्लामिक सोच के वो सारे हथियार इस्तेमाल दनादन दागते हुए डर का ताला कुछ ऐसे जड़ दिया कि लोग पलायन को मजबूर हो गए। आप जब सुसुप्त अवस्था में ही थे और पूरे वातावरण में इस्लामिक सोच का कब्जा हो गया। शायद मेरी ये बातें आप सभी पाठकों को सातवें आसमान पर घोर निद्रा में देखी गई एक काल्पनिक कथा का मंचन लग रहा होगा! सोच रहे होंगे कि अरे कश्मीर तो अब बदल रहा है और कश्मीर के पत्थरबाजों के लिए तो सरकार ने सजा के प्रावधान भी कर दिए हैं। कडा एक्शन लेते हुए कहा है कि पत्थरबाजों को न सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही पासपोर्ट का वेरीफिकेशन होगा। इस ऐलान के साथ ही बेचारे पत्थरबाज़ इस असहिष्णु देश, समाज और सरकार के डर से बिलों में घुस गए होंगे, तो क्या हुआ अब गायब हो गए क्या पत्थरबाज? इस सवाल के साथ ही आप सोच में पड़ गए होंगे, ताजा घटनाओं को याद कर रहे होंगे, दिमाग पर थोड़ा जोर भी डाल रहे होंगे और फिर ढूंढ रहे होंगे कश्मीर के उन पत्थरबाजों को। अरे सुनिए तो, कहाँ जा रहे हैं, आपको बता दूँ अब वो उतनी दूर थोड़ा कम दिखेंगे क्योंकि अब वो पत्थरबाज आपके दरवाजे पर अपना डेरा जमा दिए हैं। आंखे खोल कर तो जरा देखिए। जरा नजर उठा कर गौर से देखिए तो सही, पत्थर के साथ–साथ उनके हाथों में बारूद के रूप में पेट्रोल बम भी है। अगर अभी भी नजर नही आया तो याद कीजिए चैत्र प्रतिपदा हिन्दू नववर्ष से लेकर उन सभी हिन्दू त्योहारों को जिनसे हमारी आस्था जुड़ी हुई है। और फिर याद कीजिए राजस्थान से लेकर दिल्ली, बंगाल सहित सात राज्यों के न जाने कितने ही जगहों पर हुए उन हंगामों को जहां हिन्दू आस्था और शोभायात्रा पर जम कर पत्थर बरसाए गए बोतलों मे भर कर पेट्रोल बम भी फेंके गए और घर भी जलाए गए। भगवा उतारा गया, इस्लामिक झंडे फहराए गए और अल्लाह–हू–अकबर के नारे भी लगे। इन सब के बीच में अच्छी बात ये रही कि एक भगवा धारी मुख्यमंत्री वाले राज्य में सब शांत रहा और इस शांति व्यवस्था के बीच उत्तर प्रदेश में किसी को कानून व्यवस्था मानने से कोई दिक्कत भी नही हुई। कानून व्यवस्था सामान्य रही और रामनवमी और ईद दोनों ही खुशहाली के साथ बीता। तो क्या माने देश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए

ISSN No. 2581-3528

कमान कुछ ऐसे ही व्यक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो सत्ता में शक्ति का संतुलन बनाए रखने की कला जनता हो। अब रंग भले ही केसरिया हो मगर धरती पर लाल धब्बा नहीं बल्कि खुशहाली और हरियाली का हरा–भरा रंग बिखेरने की ताकत रखता हो। वैसे आप अगर इन मुद्दों पर चिंतन से परे अभी भी सुसुप्त अवस्था मे है और आपको अगर ऐसा लगता है कि सेक्युलरिज्म का सुनहरा चादर आपके दरवाजे को इन पत्थरबाज़ों से बचा लेगा तो आपको उस मुहावरे को याद करना चाहिए कि हर चमकती हुई चीज सोना नही होता। आजकल ऐसी तस्वीर जिसमें हाथों में पत्थर और शीशे के बोतल में पेट्रोल बम लिए भीड़ दौड़ती हुई आगे बढ़ रही है। जरा संभलकर कहीं ऐसा न हो कि आप गंगा–जमुनी के भाईचारे वाली सौहार्द कि चादर ओढ़े रहें और कश्मीर के राह पर चलती ये पत्थरबाज़ भीड़ दौड़ती हुई आपके दरवाजे पर पहुँच जाए।

"वैसे याद रखिएगा संविधान रचयिता बाबा साहब अंबेडकर ने भी अपनी किताब 'पाकिस्तान एंड द पार्टीशन आफ इंडिया' में विस्तार से स्पष्ट किया हैं कि भाईचारा वाली उनकी सोच सिर्फ अपने कौम तक ही सीमित रहती है। बाबा साहब की इस किताब को अगर पढ़ें तो इस्लाम में राष्ट्रवाद का कोई चिंतन नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि इस्लाम में तो राष्ट्रवाद की अवधारणा ही नहीं है वो सिर्फ कुरान के रास्ते एक इस्लामिक रास्ता बनाता है। वह राष्ट्रवाद को तोड़ने वाला मजहब है। इस्लाम का भाईचारे का सिद्धांत मानव जाति का भाईचारा नहीं है। यह केवल उनकी कौम तक ही सीमित भाईचारा है। मजहब के बाहर वालों के लिए उनके पास शत्रुता और तिरस्कार के सिवाय कोई भाव नही होता।

चैत्र प्रतिपदा हिन्दू नववर्ष से लेकर उन सभी हिन्दू त्योहारों को जिनसे हमारी आस्था जुड़ी हुई है। और फिर याद कीजिए राजस्थान से लेकर दिल्ली, बंगाल सहित सात राज्यों के के न जाने कितने ही जगहों पर हुए उन हंगामों को जहां हिन्दू आस्था और शोभायात्रा पर जम कर पत्थर बरसाए गए बोतलों मे भर कर पेट्रोल बम भी फेंके गए और घर भी जलाए गए।

अम्बेडकर के मुताबिक इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को कभी भी भारत को अपनी मातृभूमि मानने की अनुमति नहीं देता। मुसलमानों की भारत को दारुल इस्लाम (मुस्लिम राजा वाला देश) बनाने की महत्ती आकांक्षा रही है। उनके मुताबिक़ 1857 के समर में भी जहां हिन्दू अपने राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे थे वहीं मुसलमान मजहबी मौके ढूंढ रहे थे। खिलाफत आंदोलन उनकी उस सोच की पुष्टि करता है। अफगानिस्तान का 1919 में भारत पर आक्रमण इन खिलाफत के लोगों की भावनाओं का ही परिणाम था। इनके हक में बात करने वाला व्यक्ति भी अगर इनके मजहबी फ्रेम मे फिट नहीं बैठता तो उसकी खिलाफत करने से ये नहीं चूकते हैं। इस बात को इससे भी समझा जा सकता है कि जिस मोहम्मद अली ने 1923 में महात्मा गांधी की तुलना ईसा मसीह से की थी। वही, 1924 में अलीगढ़, अजमेर तथा लखनऊ के भाषणों में गांधी जी के प्रति भद्दे शब्दों का प्रयोग करने में जरा भी नहीं चूका था।

बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में हिन्दू–मुस्लिम दंगों को 'गृह–युद्ध' कहा था। जिसकी धमकी गाहे–बेगाहे आज भी सुनने में आ रहा है। उन्होंने निष्कर्ष रूप में यह माना है कि 'मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारतीय जीवन प्रवाह में मतान्तरण, अलगाववाद तथा साम्प्रदायिकता का विष घोला, जिसकी परिणीति भारत विभाजन के रूप में हुई'।

अब फैसला आपको लेना है सरकार, कानून, संविधान, सिर्फ आपकी रक्षा ढाल के तौर पर कर सकती, मतलब बुलेट प्रूफ बन कर लेकिन आपके परिवेश मे आपका घर आपके बसाये हुए समाज मे कितना सुरक्षित रह सकता है ये सिर्फ आपका विवेक बता सकता है। **(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं)**

ISSN No. 2581-3528

आदर्श शासन का प्रतिमान बनता उत्तर प्रदेश का योगीराज

डॉ. मनमोहन सिंह शिशौदिया

उत्तर प्रदेश सहित देश के समूचे जनमानस को विदेशी दासता के पिंजरे से मुक्ति हेतु संघर्ष की प्रेरणा मूलतः आजाद भारत में विकास की ऊंची उड़ान भरने की उम्मीदों में निहित थी। आजादी से उम्मीद थी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय की; भय, भूख, एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति की; अवसरों में समानता की; किसान, जवान एवं विज्ञान के सम्मान की तथा कला, संस्कृति, एवं विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन की। आजाद भारतीयों ने स्वप्न देखा था ऐसे नेतृत्व का जो, 'तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ' की भावना से अनुप्राणित हो। साथ ही मनसा, वाचा, कर्मणा कृतसंकल्पित हो कि 'जो भी हमारे पास है वह समाज का है, उसी की बेहतरी के लिए है और उसी को लौटाने को है।' परंतु आजादी का सफर शुरू होते ही भारतीय जनमानस की ये उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। लोक कल्याण से विमुख होते शासन–तंत्र से मायूस जनमानस का दर्द देख दुष्यंत को लिखना पड़ा कि, "कहाँ तो तय था चिराग हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए"। दुष्यंत की पंक्तियों, "इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पाँव घुटनों तक सना है" से भ्रष्टाचार के दलदल में दिन दूनी रात चौगुनी गति से धँसते शासन–तंत्र की झलक भी बखूबी मिलती है। पाकिस्तान से ज्यादा जनसंख्या (24–करोड़) एवं ब्रिटेन के बराबर क्षेत्रफल (240928–वर्ग कि0मी0), 70–प्रतिशत साक्षरता एवं 75–जिलों वाला उत्तर–प्रदेश राजनीतिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली प्रदेश होते हुए भी बीमारू राज्य के रूप में ही जाना जाता रहा है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि देश को सर्वाधिक 9–प्रधानमंत्री देने वाला, संसद में सर्वाधिक 80–लोकसभा एवं 31–राज्यसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाला उ0प्र0 आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी, लचर कानून–व्यवस्था, माफिया, महिला उत्पीड़न, सांप्रदायिक दंगों, जातिगत हिंसा एवं भ्रष्टाचार का पर्याय बना रहा।

आशा–निराशा के पड़ावों से गुजरते उ0प्र0 में वर्ष 2017 में आरंभ हुए योगी–राज से नई आशाओं एवं संभावनाओं का दौर भी आरंभ हुआ। लगातार पाँच लोकसभा चुनाव जीत उ0प्र0 की बागडोर संभालने वाले जिस मुख्यमंत्री को मीडिया पंडितों एवं तथाकथित बुद्धिजीवियों ने अनुभवहीन बता उसकी उठावनी लिखनी शुरू कर दी थी, उसने अपनी कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, दृढ़ता एवं संकल्पशक्ति से उन भविष्य–वक्ताओं को गलत सिद्ध कर दिया। चाहे सरकार बनते ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान हो, गन्ने का बकाया भुगतान हो, उ0प्र0 को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना हो, कोविड में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का कीर्तिमान बनाना हो, प्रथम कागज रहित बजट पेश करना हो, योगीराज ने हर चुनौती को नए अवसर में बदलने का गंभीर प्रयास है। जहां काल का गाल बनने के डर से अधिकारी, मंत्री एवं अन्य मुख्यमंत्री केवल टी0वी0 एवं ऑन–लाइन माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्शा रहे थे, उ0प्र0 के मुख्यमंत्री स्वयं अस्पताल एवं कोरोना केंद्र जाकर यह संदेश देने में सफल हुए कि आपदा में उ0प्र0 के जनमानस की सेवा से महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं हो सकता, भले ही वो स्वयं के पिता का अंतिम संस्कार ही क्यों न हों। योगीराज की ऐसी सोच का ही परिणाम रहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उ0प्र0 के कोविड प्रबंधन की भूरी–भूरी प्रशंसा की।

उत्तर प्रदेश ने गुंडों और माफियाओं के खिलाफ शून्य सहिष्णुता (जीरो टॉलरैंस) की नीति अपनाकर यह संदेश दिया है कि योगीराज में केवल संविधान और कानून सर्वोपरि हैं। वो बीते जमाने की बात है जब कानून से खिलवाड़ करने वालों को सजा देने की जगह सरकारी मेहमानों की तरह चिकन–मटन से खातिरदारी की जाती थी। काली कमाई से खड़ी की गई लगभग 2000–करोड़ की संपत्ति को या तो ध्वस्त कर दिया गया या उसे सरकारी नियंत्रण में लेकर उसी आम आदमी को उसका वारिस बना दिया जिसके शोषण किन नीव पर इसे खड़ा किया गया था। योगीराज में गुंडों और माफियाओं के सरंक्षण एवं चरण चुंबन की बजाय उनके कुकर्मों की सजा देने का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस एवं प्रशासन को चुनौती देने वाले माफियाओं को उनकी सही जगह पहुंचाकर यह साफ संदेश दिया गया कि उ0प्र0 की गड्ढामुक्त सड़कों पर जहां आम आदमी की गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी वहीं गैंगस्टर और माफियाओं की गाड़ी पलटने का खतरा हर समय बना रहेगा। कानून के डर से अपराधी उ0प्र0 छोड़ने लगे, अन्य प्रदेशों में ठिकाना ढूँढने लगे, खुद थानों में हाथ उठाकर तख्ती लटकाए जुर्म कबूल कर जान की भीख मांगने लगे और बेल की जगह जेल मांगने लगे। ऐसे कदमों के कारण ही वर्ष 2017–22 की अवधि में जहां राष्ट्रीय स्तर पर दंगों के मामलों में 10 प्रतिशत की कमी आई, वहीं उ0प्र0 में यह गिरावट 25 प्रतिशत पहुँच गई। जहां देश के

ISSN No. 2581-3528

कई भागों में रामनवमी एवं हनुमान जयंती जैसे मौकों पर जगह–जगह सांप्रदायिक दंगे भड़के, वहीं उ0प्र0 में सब त्यौहार शांति से मने। इसी तरह जहां अन्य राज्यों में उच्चतम न्यायालय के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने या उनकी ध्वनि सीमा नियंत्रित करने के आदेश लागू नहीं हो पा रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में एक लाख से अधिक लाउड स्पीकर या तो उतार दिए गए हैं या उनकी आवाज मानकों के अनुरूप कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने खुद गोरखनाथ मठ में इसका अनुपालन सुनिश्चित कराकर एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है।

आज का उत्तर प्रदेश अब पिछलग्गू न होकर अन्य राज्यों का मार्गदर्शन एवं दीक्षाबोध करता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ने यह संदेश दिया है कि माफिया, गुंडा और गैंगस्टर जनता का दमन नहीं कर सकते, न ही भ्रष्टाचार की कमाई पर बने महलों एवं प्रतिष्ठानों को बख्शा जाएगा। भ्रष्टाचारियों को न तो बढ़ावा दिया जाएगा और न ही समाज में उन्हें महिमा–मंडित किया जाएगा। बुलडोजर को माफियाओं, अपराधियों एवं बलात्कारियों के खात्मे के प्रतीक के रूप में स्थापित करने वाले योगीराज का अनुसरण गुजरात, मध्यप्रदेश एवं दिल्ली जैसे राज्य कर रहे हैं। मीडिया के एक बड़े वर्ग की योगी के प्रति नफरत, लंबे चले किसान आंदोलन, लखीमपुर–खीरी घटना एवं हिजाब जैसे मुद्दों के बावजूद उत्तर प्रदेश वासियों के मिले जन समर्थन ने यह संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का मुखिया, विपक्ष के चक्रव्यूह का शिकार होने वाला अभिमन्यु नहीं बल्कि द्रोणाचार्य के कमल व्यूह को ध्वस्त करने वाला अर्जुन है। आज सरकार के मुखिया पर कुँवर बेचेन जी की पंक्तियाँ, "दुनिया ने मुझपे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए", बिल्कुल सटीक बैठती हैं। वास्तव में बीमारू और जंगलराज की पहचान वाला उत्तर प्रदेश अब असामाजिक तत्वों का काल बन चुका है।

पिछले पाँच सालों में उ0प्र0 में 42–लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए, प्रदेश दंगा मुक्त रहा, मेडिकल कॉलेज/अस्पताल/विद्यालय/विश्वविद्यालय आदि की संख्या में वृद्धि हुई। आपदा को अवसर में बदलने में माहिर योगीराज ने कोविड़ संक्रमण को प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे अस्पतालों में नए विभागों का सृजन, नए उपकरणों की स्थापना, ऑक्सीजन सयंत्रों की स्थापना, एम्बुलेंस की संख्या में वृद्धि आदि के लक्ष्य से जोड़ा। परंतु यह भी वास्तविकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक आम आदमी की पहुँच आसान नहीं है। अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों की भारी किल्लत है तथा अनेकों झोलाछाप डॉक्टर भोली–भाली जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज बिना भय के बहन–बेटियाँ विद्यालय/विश्वविद्यालय एवं काम पर जा रही हैं। नैशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार उत्तर प्रदेश में हत्या, बलात्कार, अपहरण एवं फिरौती संबंधी मामलों की संख्या में भारी कमी आयी है। हालाँकि यह चिंताजनक भी है कि तस्करी हेतु ड्रग रखने के मामलों में भारी वृद्धि हुई है। जैसा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ0 कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका में अच्छी सड़कें इसलिए नहीं हैं कि अमेरिका अमीर है अपितु अमेरिका इसलिए अमीर है की वहाँ अच्छी सड़कें हैं, योगीराज ने उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में सड़क एवं हवाई यातायात के महत्व के दृष्टिगत विश्वस्तरीय सड़कों एवं हवाई–अड्डों के निर्माण पर जोर दिया है। जनता अब यह सोचने के लिए मजबूर है कि यदि 5–वर्ष में उत्तर प्रदेश में यह सब कुछ संभव है तो पिछले 70 वर्षों में क्या नहीं हो सकता था? जो हो सकता था वो हुआ क्यूँ और किसके कारण नहीं?

जिस तरह कोई आविष्कारक एक बीमारी की दवा विकसित करने के बाद अन्य बीमारियों का इलाज खोजने और मानवता के कष्टों को कम करने के लिए अपना जीवन हवन कर देता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश भी बुलडोजर मॉडल से आगे बढ़ चुका है। गड्ढा–युक्त सड़कों, अंधेरे गावों, शोहदों से पीड़ित बहन–बेटियों, माफिया से त्रस्त व्यापारियों के लिए जाना–जाने वाला उत्तर प्रदेश योगीराज में विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। हालाँकि सुरसा के मुंह की तरह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता भ्रष्टाचार एक चिंता का विषय है। लगातार कालाबाजारी, रिश्वत एवं घोटालों की बढ़ती घटनाओं से शासन की योजनाओं का अपेक्षित लाभ प्रदेश–वासियों तक नहीं पहुँच पा रहा है। भ्रष्टाचार एक ऐसे ब्लैक–होल की तरह है जो आशा रूपी प्रकाश को पूरा सोख, योगीराज के ईमानदार प्रयासों पर स्याही फेर सकता है। हालाँकि, हाल ही में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर योगीराज ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ने की अपनी मंशा अवश्य जाहिर कर दी है।

कभी कहा जाता था कि मुख्यमंत्री का परिवार ही उत्तर प्रदेश है, आज पूरा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का परिवार है; कभी मुख्यमंत्री के परिजन तथा रिश्तेदार खनन, अवैध कब्जों, दलाली, वसूली, नियुक्तियों, पोस्टिंग–ट्रांसफर आदि के माध्यम से काले धन के कुबेर बन बैठते थे, आज मुख्यमंत्री की बहन चाय एवं फूल बेच जीविकोपार्जन करती हैं; कभी सरकारी तंत्र सरकारी खर्चे से पारिवारिक आयोजन सम्पन्न कराने में जुटा रहता था, आज प्रदेश–वासियों की सेवा की खातिर मुख्यमंत्री अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं होते; कभी बिजली का बंटवारा मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों के क्षेत्रों तक सीमित था, आज पूरे प्रदेश में समान रूप से बिजली दी जाती है; कभी कहा जाता था कि लड़कों से बलात्कार जैसी गलती हो जाती है, आज ऐसे लड़के समर्पण करने के लिए पुलिस के आगे गिड़गिड़ाते हैं; कभी नोएडा जाने पर पद गँवाने के अंधविश्वास से नोएडा के विकास की अनदेखी होती थी, आज अंधविश्वास को नकार नोएडा को एयरपोर्ट, एम0एस0एम0ई, एवं फिल्म सिटी जैसी सौगात देकर प्रदेश के विकास की धुरी बनाने का प्रयास होता है; कभी गौकशी की कमाई से दबंग, भूमाफिया और आतंकी पनपते थे, आज सरकार गौवंश के सरंक्षण के लिए खुद गौशाला चलाती है और मुख्यमंत्री स्वयं गौ–पालन की प्रेरणा देते हैं; कभी अफसरों एवं नेताओं की मौजमस्ती के लिए विदेश यात्राओं पर लोगों की गाढ़ी कमाई के अरबों रुपये लुटा कर कहा जाता था कि विकास के लिए पैसा नहीं है, आज फिजूलखर्ची कम करके विश्वस्तरीय सड़कों एवं हवाई–अड्डों का निर्माण होता है। वास्तव में योगीराज ने घोर निराशा के वातावरण में आशा का संचार कर सिद्ध किया है कि, "कौन कहता है कि आकाश में सूराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो"। परंतु याद रखना होगा कि यह उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने की केवल शुरुआत भर है, तस्वीर बदलनी अभी बाकी है। कहते हैं, "बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है"। अतः योगीराज को रामराज्य में बदलने के यज्ञ की पूर्णता तक आहूति देते रहने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की है। (निजी विचार)

(लेखक गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में भौतिकी विज्ञान विभाग में शिक्षक हैं)

ISSN No. 2581-3528

हिन्दू आस्था के प्रति हिंसा पर सेक्युलर खेमा मौन क्यों?

डॉ. प्रताप निर्भय सिंह

भारत की सत्य सनातन संस्कृति की जीवन ऊर्जा सतत् रूप से भारत के जनसामान्य में विभिन्न प्रकार के पर्व उत्सव एवं परंपराओं के रूप में पल्लवित और पुष्पित होती हुई आई है। सदियों से हम जिन उत्सव एवं पर्वों को मनाते आ रहे हैं वह हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक विरासत से ही जुड़े हुए हैं। लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष जो सैलानी भारत घूमने आते हैं, उनकी सबसे पहली आकांक्षा भारत के किसी भी पर्व अथवा उत्सव का हिस्सा बनना होता है जिससे वे भारत की संस्कृति को बेहतर रूप से समझ सकें।

भारत की संस्कृति पर्व और उत्सव से ही स्पंदित है। जब विदेशी आक्रान्ताओं ने भारत पर हमला कर भारत की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया तब विपरीत परिस्थितियों में भी, हमारे महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हिन्दू संस्कृति की रक्षा की। भारत को नया तेज और शौर्य प्रदान करने में हमारे परंपरागत उत्सव और त्योहारों का विशेष योगदान है।

पिछले कुछ वर्षों में यह देखने में आया है कि हिंदू मान्यताओं और हिंदू त्योहारों को लक्ष्य बनाकर सुनियोजित तरीके से उसमें विघ्न बाधा पहुंचाई जा रही है। हिंदू परंपराओं का मजाक बनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं को विज्ञापनों एवं फिल्मों के माध्यम से विद्रूपित किया जाता है। हिंदू उत्सव एवं हिंदू परंपराओं के विरुद्ध इस्लामिक जिहाद और वामपंथियों का बौद्धिक वितंडावाद हिंसात्मक रूप लेने लगा है। वर्तमान भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर बढ़ रहा है। भारत की युवा पीढ़ी अपने प्राचीन गौरव के प्रति सजग हो रही है और देश के पर्वों उत्सवों में युवा वर्ग की भागीदारी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। जिसके कारण इस्लामिक जेहादी और वामपंथी व्यथित हैं। इस पुनर्जागरण को ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। भारत को ऊर्जा देने वाले हमारे पर्व एवं उत्सव पर किसी न किसी बहाने से हिंसा करना, उत्सव में बाधा पहुंचाना एक आम बात हो गई है। अभी हाल ही में हिंदू नव वर्ष, रामनवमी एवं हनुमान जयन्ती पर एक सम्प्रदाय विशेष के लोगों ने जो हिंसा, नफरत एवं द्वेष को हथियार बनाकर अशांति फैलायी, वह भारत की एकता, अखण्डता एवं भाईचारे की संस्कृति को क्षति पहुंचाने का माध्यम बनी। क्या ये हिंदुओं को भयभीत करना चाहते हैं कि वह पर्व एवं उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने में संकोच करने लगें? या यह विश्व में भारत की सशक्त होती छवि को नुकसान पहुंचाने का एक षड्यंत्र है। इस समय संपूर्ण विश्व अनेक ऐसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है जो मानव एवं प्रयावरण दोनों को असंतुलित कर रही हैं। हमें गर्व है कि भारतीय मनीषा के पास "सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया" जैसे विश्व कल्याण सूत्र हैं। भारत विरोधी यथा हिंदू विरोधी ताकतों को किसी भी रूप में यह स्वीकार नहीं था कि भारत प्राचीन वैभव को प्राप्त करे। इसलिए समय–समय पर वे भारत के प्राण हिंदू जनमानस की भावनाओं के माध्यम से सनातन भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करते हैं। जिससे हिंदू दुर्बल हो और हिंदुत्व का उदय न हो सके। इसलिए भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति बौद्धिक एवं रक्तरंजित दोनों प्रकार की हिंसा का दौर वर्षों से चलता आया है, जिसने हिंदू समाज को बहुत हानि पहुंचाई। आज जब हिंदू समाज जाग रहा है और उसे बौद्धिक तथा सांस्कृतिक रूप से पराजित नहीं किया जा सकता है तब सीधे–सीधे हिंदू त्योहारों एवं पर्वों पर भय से पूर्ण वातावरण बनाने का षड्यंत्र हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक इस प्रकार की घटनाएं देखी जा सकती हैं। राजस्थान के करौली में, दिल्ली के जहांगीरपुरी, मध्य प्रदेश के खरगोन और गुजरात के हिम्मतनगर एवं खंभात में हुई भीषण हिंसा की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि यह राष्ट्रव्यापी सुनियोजित जेहादी षड्यंत्र है जो सतत् रूप से धार्मिक उन्माद में लिप्त होकर संलग्न है। हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी शांति प्रिय एवं सौहार्द भाव से जीवन जीता है, यही हिन्दू जीवन दर्शन है। एक संप्रदाय विशेष जो मूल रूप से हिंदू ही था, उसका हमारा डीएनए एक ही है, उसके बावजूद उसकी मानसिकता हिंदू समाज पर शासन करने की ही बनी हुई है। वह हिंदुओं को भयभीत देखना चाहते हैं और यदि हिंदू आवाज उठाएं तो वह सांप्रदायिक हो जाता है, असहिष्णु हो जाता है। अवार्ड वापसी गैंग और तथाकथित बुद्धिजीवी ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साध लेते हैं जो सीधे–सीधे हिंदू भावनाओं से जुड़ी हुई होती है। यदि ऐसी ही घटना किसी मुस्लिम अथवा ईसाई समुदाय के साथ कर दी जाती तो ये तथाकथित बुद्धिजीवी छाती पीट–पीटकर देश के असहिष्णु होने का रोना रोते, और विश्व समुदाय में भारत को बदनाम करते।

इतिहास गवाह है कि बहुसंख्यक हिंदू समुदाय में कभी किसी अल्पसंख्यक का शोषण नहीं हुआ है, परंतु इसके विपरीत उदाहरणों से इतिहास पटा हुआ है। तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले में कलाथुर नाम का एक गांव उसका जीता जागता उदाहरण है जहां मुसलमानों ने हिंदू पर्व में इसलिए व्यवधान डालना प्रारंभ कर दिया कि वे वहां बहुसंख्यक हो गए और इस मामले में हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। ऐसी ही घटना यदि किसी स्थान पर हिंदू समाज कर दे, तब यह चुप्पी साधने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी रो–रो कर चिल्लाना शुरू करते हैं कि मोदी राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मोदी राज में डर लगता है, भारत असहिष्णु बन रहा है। महाराष्ट्र के पालघर में जब विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा निर्मम तरीके से हिंदू साधुओं की हत्या कर दी जाती है तब कोई बुद्धिजीवी न तो टीवी पर उसके विषय में बोलने के लिए आता है, न ही सड़कों पर तख्ती लेकर खड़ा होता है और न ही अपना अवार्ड वापस करता है। केरल के सबरीमाला मंदिर को लेकर हिंदुओं की आस्था केंद्र पर प्रहार करने का

ISSN No. 2581-3528

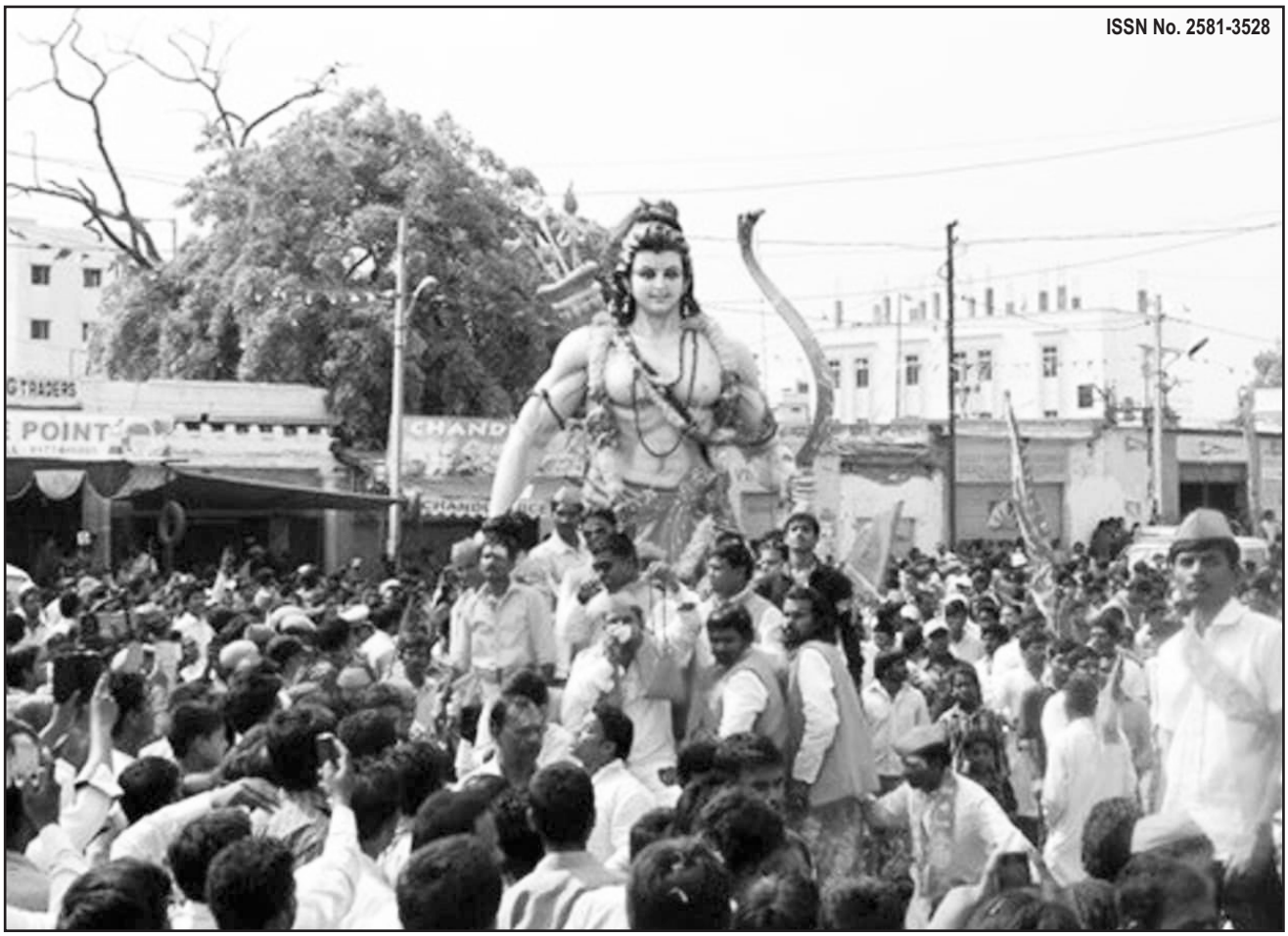

मामला भी प्रकाश में आ चुका है। बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय को भय से आक्रांत रखने की उनकी वर्षों पुरानी दुष्प्रवृत्ति के विरुद्ध आज का हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ है। देश में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से किसी मुस्लिम अथवा ईसाई की हत्या हो जाने पर अखबारों में बड़े–बड़े लेख लिखने वाले बुद्धिजीवी, आतंकवादियों की हत्या पर मानवाधिकार की दुहाई देने वाले तथाकथित मानवाधिकार प्रेमी हिन्दू जीवन मूल्यों पर आघात, पर्वों पर होने वाली हिंसा जैसी घटनाओं पर चुप रह जाते हैं यह बात समझ में नहीं आती है। यदि किसी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं में वे सक्रिय भी होते हैं तो इस घटना का उपयोग भी वे भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करने के लिए ही करते हैं। भारत में जब जब मुस्लिम भीड़ हिंसा करती है, तब वे मुस्लिमों को पीड़ित दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं, CAA का विरोध इसका एक उदहारण है। वर्तमान हिंसक घटनाओं में कहीं रामनवमी के दौरान बज रहे डीजे पर आपत्ति जताई है तो कहीं गाने के चयन पर हंगामा हुआ, कहीं शोभा यात्रा के मुस्लिम बहुल इलाके से गुजरने पर दोष मढ़ा गया तो कहीं मस्जिद के सामने से जुलूस के जाने पर पत्थरबाजी हुई। इन घटनाओं में आगजनी, पत्थरबाजी, लाठी–डंडों से पिटाई और मजहबी नारेबाजी आम बात थी। यह हिंदू संस्कृति को विश्व पटल पर बदनाम करने की साजिश नहीं तो क्या है। ऐसा नहीं है कि हिंदू पर्व और उत्सवों के बीच व्यवधान डाल कर, अथवा किसी प्रकार की हिंसा प्रायोजित कर ऐसा किया जाता है। हिंदू संस्कृति पर यह आक्रमण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सिनेमा और प्रिंट मीडिया के द्वारा भी फैलाया जाता रहा है। दिवाली के अवसर पर कपड़े और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी फैबइंडिया ने जश्न–ए–रिवाज नाम का कैंपेन शुरू किया, एक विज्ञापन में हिन्दू गर्भवती लड़की को मुस्लिम घर की बहू दिखया गया, वेब सीरिज में हिन्दू देव का मजाक बनाया गया, परंतु जब जागरूक हिंदू समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी तब उन्हें सफाई देनी पड़ी। तीज और करवा चौथ जैसे पर्व स्त्रियों के शोषण से जोड़े गए, दिवाली प्रदूषण से और होली पानी की बर्बादी से जोड़ी गई, दुर्गा पूजा पर लोग लड़की छेड़ने जाते हैं जैसे वक्तव्य दिए गए। यह सब हिंदू धर्म के प्रति बौद्धिक हिंसा नहीं तो और क्या है? अपनी अस्मिता बचाए रखने के लिए असहिष्णुता अनिवार्य है। हिंदू विरोधी शक्तियों को यह समझ लेना चाहिए कि हिंदुत्व पारस्परिक सौहार्द प्रेम भाव, सबका साथ सबका विकास, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवंतु सुखिनः का ही एक नाम है। इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि हिंदुत्व की अवधारणा दुर्बलों की अवधारणा है। अन्याय, शोषण एवं मजहबी उन्माद, हिन्दू संस्कृति के प्रति बौद्धिक हिंसा को अब हिन्दू समाज सहन नहीं करेगा। पीढ़ियों से हम साथ रह रहे हैं। प्रेम और उल्लास के साथ अपने पर्वों को मना रहे हैं। हमें अपनी जड़ों की ओर लौटकर सहस्तित्व की समन्यवादी संस्कृति को धारण करना चाहिए। इस बात को हमें समझना चाहिए कि विविधता में एकता को संजोने वाली हमारी हिंदू संस्कृति हमारे पूर्वजों की विरासत है। भारत में रहने वाले सभी मतों संप्रदायों इत्यादि के जनमानस के पूर्वज एक ही हैं। इस एकत्व की भावना से अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को पोषित करने से ही सब का कल्याण होगा।

(लेखक भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली में जनरल फेलो हैं)

ISSN No. 2581-3528

रूस यूक्रेन युद्ध के पर्यावरणीय निहितार्थ

डॉ. आनन्द मधुकर

रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। युद्ध के लंबा चलने की संभावना बन रही है। युद्ध ने एक ओर यूक्रेन के लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। वहीं दूसरी ओर, इससे विश्व के उन देशों पर भी आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है, जो गेहूं, मक्का, ऊर्जा स्रोतों इत्यादि के लिए यूक्रेन से आयात पर निर्भर हैं। परन्तु इस युद्ध की विभीषिका का प्रभाव केवल आर्थिक और भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह यूक्रेन और उसके आसपास के क्षेत्रों पर व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव भी डाल रहा है।

जानकार मानते हैं कि युद्ध किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह मानवीय हो, रासायनिक हो, जैविक हो, परमाणु बमों से लड़ा जाये अथवा गोला बारूद से लड़ा जाये, वह परिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण को बड़ी क्षति पहुंचाता है। जैसे पानी व हवा को दूषित करना, मिट्टी को बंजर बनाना, जंगलों को जलाना, पशु–पक्षी व मनुष्य अर्थात जीव जगत को समाप्त करना आदि। इसके अतिरिक्त युद्ध के फलस्वरुप उत्पन्न हुई शरणार्थियों की समस्या, नए मानव क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता, जनसंख्या व शरणार्थियों का नये क्षेत्र में बसना, और इससे संसाधनों पर दबाव बढ़ने से भी पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पर्यावरणीय क्षति होती है। इसी प्रकार, रूस यूक्रेन युद्ध से और नागरिक व सैन्य इलाकों में हुये हमलों से भी जान माल के नुकसान के साथ–साथ हवा, पानी और जमीन का प्रदूषण व्यापक तौर पर फैल रहा है। साथ ही, इस प्रदूषण के बहुत लंबे समय तक प्रभावी बने रहने की संभावना भी है।

युद्ध के परिणाम स्वरुप पर्यावरण पर पड़ रहे इस प्रभाव का एक कारण यूक्रेन में बहुत ज्यादा औद्योगीकरण का होना भी है। पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार युद्ध से पहले भी यूक्रेन में औद्योगीकरण के कारण स्वच्छ वायु, जल, जैव विविधता, इत्यादि सम्बन्धी पारिस्थितिकीय व पर्यावरणीय संकेतकों का स्तर कम ही था। पूर्वी यूक्रेन का इलाका पहले से ही खनन और रासायनिक उत्पादन के साथ साथ उच्च आबादी वाला इलाका रहा है। औद्योगिक इलाकों में युद्ध के कारण जहरीले संक्रमण का खतरा होता है, क्योंकि वहां रासायनिक संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र, खनन के कारखाने ज्यादा होते हैं, जिनके युद्ध में नष्ट हो जाने या तकनीकी खराबी आ जाने से प्रदूषण का खतरा कई गुना अधिक हो जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ, हानिकारक रसायन और ज्वलनशील पदार्थ हवा–जल आदि में मिलकर त्वरित व दूरगामी हानि पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त यूक्रेन में पन बिजली वाले बांधों के टूटने से बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है।

अतः अनुमान यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के परिणाम पर्यावरण पर अभूतपूर्व कहर बरपाने वाले साबित हो सकते हैं। सम्भावना यह भी है कि इस युद्ध से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को समझने में और इसका सही सही आंकलन करने में विश्व समुदाय को अनेक वर्ष लगेंगे। इसके अतिरिक्त, युद्ध में परमाणु हथियारों के उपयोग की सम्भावना और रूस द्वारा यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों पर कब्जे के प्रयासों से पर्यावरणीय खतरा और भी बढ़ गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हथियारों से संबंधित अपनी टीम को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। यदि दुर्भाग्यवश इस युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग होता है, तो यह युद्ध रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रहेगा। इसके बाद इसका स्वरुप तृतीय विश्व युद्ध का होगा और इसका दुष्प्रभाव समूचे विश्व के पर्यावरण पर होगा।

ऐसा होने पर, परमाणु बमों से निकलने वाले रेडिएशन्स इस पूरे क्षेत्र की जैव विविधता और जैविक घटकों को समाप्त कर देंगे। रेडिएशन्स के अलावा, परमाणु विस्फोटों के बाद बहुत बड़ी मात्रा में धूल और राख उड़कर वातावरण में कई मीलों ऊपर तक, बहुत बड़े क्षेत्र में, और लंबे समय तक बनी रहेगी। इसके फलस्वरुप इस क्षेत्र में सूर्य की रोशनी 20 से 35 प्रतिशत तक कम हो सकती है, जिसके व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव होंगे। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के कुशल संचालन हेतु सौर ऊर्जा का विशेष महत्व होता है। सूरज की रोशनी में कमी आने से न केवल पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा बल्कि फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट आने से खाद्य संकट और भुखमरी की स्थिति भी पैदा होगी।

पराबैंगनी विकरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत भी परमाणु हथियारों के उपयोग से प्रभावित हो सकती है। ओजोन परत के प्रभावित होने से सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें बिना किसी रोक के पृथ्वी तक पहुंच कर संपूर्ण परिस्थिकीय तंत्र, लम्बे समय में विकसित होने वाली मानव सभ्यता और मानव अस्तित्व के लिए संकट पैदा करेंगी।

आज विश्व परमाणु खतरे से आच्छादित है। वैश्विक हालत कुछ इस तरह के हैं कि स्वयं को परमाणु ताकत संपन्न बनाने की दौड़ में अधिकांश देश शामिल हो गए हैं। विश्व में परमाणु संपन्न देशों की संख्या बढ़ गयी है। 1945 के बाद दुनिया के अनेक देशों ने परमाणु परीक्षण किये हैं। साथ ही, प्रत्येक परमाणु बम की क्षमता भी 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए अणु बमों से कई गुना अधिक हो गई है। एक शोध रिपोर्ट के अनुसार इन परमाणु बमों से समूची पृथ्वी को दर्जनों बार समाप्त किया जा सकता है। परमाणु बम में सबसे अधिक खतरनाक हाइड्रोजन बम हैं, जिनकी विनाशक क्षमता सर्वाधिक आंकी गई है। ऐसे में आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये परमाणु बम पृथ्वी पर कितनी तबाही मचा सकते हैं। अपनी विध्वंसक क्षमता के कारण परमाणु बम दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ते हैं। परमाणु विकिरण के कारण उत्पन्न होने वाली गामा किरणें विश्व में मानव जाति व वनस्पति जगत पर गंभीर घातक परिणाम पैदा करने का सामर्थ्य रखती हैं।

इन परिस्थितियों में यदि विश्व में परमाणु युद्ध हुआ, तो हथियारों की भयावहता से उपजे संकट आगामी पीढ़ी और संपूर्ण पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक साबित होंगे। अतः इन मानवीय व पर्यावरणीय खतरों को ध्यान में रखते हुए रूस यूक्रेन युद्ध का हल शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के जरिए निकालना अत्यावश्यक प्रतीत हो रहा है।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए, दुनिया के 75 देशों ने पर्यावरण शांति निर्माण संघ (Environmental Peace building Association) को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पर्यावरण और मानवीय हानि पर चिंता जाहिर की है। विश्व में सैन्य गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित संगठन 'कनफ्लिक्ट एंड एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेटरी' ने बताया है कि प्रत्येक सैन्य संघर्ष का एक विशेष पर्यावरणीय प्रभाव होता है और यूक्रेन के मामले में यह युद्ध बहुत बड़ी पर्यावरणीय, तकनीकी व ऊर्जा हानि को दर्शा रहा है। अतः अब आवश्यकता इस बात की है कि विश्व समुदाय मिलकर मानव कल्याण व पर्यावरण कल्याण के लिए संबंधित वैश्विक–क्षेत्रीय संस्थानों, और नियमों को अधिक प्रभावी और गतिशील बनाने की दिशा में कार्य करे।

इस संबंध में विश्व को प्राचीन भारतीय चिंतन से भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, जिसमें भारतीय मनीषियों ने पर्यावरण के साथ मानव की एकात्मकता और मैत्रीपूर्ण सहअस्तित्व का विचार प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रति उपभोग का दृष्टिकोण न होकर पर्यावरण के विभिन्न घटकों के प्रति असीम श्रद्धा का भाव है। इसी के चलते आज भी भारतीय समाज में वृक्ष पूजा, पर्वत पूजा, जीव जंतुओं की पूजा जैसे प्रथाएं लोकप्रिय हैं।

(लेखक आईआईटी दिल्ली में सीनियर साइंटिस्ट हैं)

ISSN No. 2581-3528

हिंदी मन की भाषा फिर राजनीति क्यों?

मोनिका चौहान

भारत की एकता, अखंडता और विकास में हिंदी की अहम भूमिका रही है। एक योग्य भाषा के रूप में हिंदी राष्ट्र को सशक्त बनाती है। हिंदी हमारी सांस्कृतिक व धार्मिक एकता को भी आगे बढ़ाती है। आजादी की संघर्षपूर्ण लड़ाई में हिंदी को ही अपने संघर्ष का माध्यम बनाया गया था। हिंदी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है। हिंदी भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपना एक उच्च स्थान रखती है। भाषा के रूप में हिंदी भारत की पहचान ही नहीं है बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेक्षक और परिचायक भी है।

कुछ दक्षिण भारतीय विशेषकर राजनीतिज्ञ एवं कलाकार समय–समय पर हिंदी को कमजोर समझकर अपमानित करते रहते हैं। फ़िल्म अभिनेता अजय देवगन व कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप का हिंदी को लेकर ट्वीटर पर शुरू हुए विवाद ने राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया। कन्नड़ राजनेताओ ने इसे हवा देने और हिंदी पर प्रश्नचिन्ह लगाने में कोई कसर नही छोड़ी। किच्चा सुदीप ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदी अब राष्ट्र भाषा नही रही, पैन इंडिया के अंतर्गत बन रही फिल्म कन्नड़ में है। हिंदी सिनेमा के सिंघम कहे जाने वाले अजय देवगन को ये बात बिल्कुल पसंद नही आयी और उन्होंने ट्वीट कर सुदीप को बताया कि हिंदी राष्ट्रभाषा है और रहेगी। अगर इनकी अपनी भाषा इतनी प्रसिद्ध व सशक्त है तो इन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए दक्षिणी फिल्मों को हिंदी में डब करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? कहीं ना कहीं ये भी इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि हिंदी के बिना राष्ट्र में इनका भी कोई स्थान नहीं है। हाल ही में रिलीज हुई कन्नड़ बेस फिल्म केजीएफ–2 फिल्म ने 900 करोड़ के व्यापार की ऊंचाई केवल हिंदी भाषा के दम पर हासिल की। क्या हिंदी का विरोध करने वाले कन्नड़ राजनेताओं को हिंदी का महत्व समझ नहीं आ रहा है? तमिलनाडु में भी पहले हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ जिसको तमिलनाडु के हिंदी भाषा विरोधी आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। यह 1937 में मद्रास में हुआ जिसके जनक सी राजगोपालाचारी (राजाजी) थे। इन्हीं के कारण 1939 में अनिवार्य हिंदी शिक्षा नियम को ब्रिटिश गवर्नर लार्ड एर्स्किन ने वापस ले लिया। जिसके परिणाम स्वरुप आजादी के बाद भी तमिलनाडु के स्कूलों में राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं पढ़ाई जाती जबकि हिंदी तमिलनाडु के स्कूलों में अनिवार्य हुआ करती थी।

पूरे राष्ट्र में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है लेकिन फिर भी हिंदी को उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया पहले भी हिंदी का विरोध करते आए हैं। पिछली बार कर्नाटक की मेट्रो ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए कन्नड़, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में स्टेशनों के नाम लिखने पर उन्होंने जमकर विरोध किया था और एक बार फिर वह हिंदी विरोध में सामने खड़े हुए हैं। क्या इस तरह की तुच्छ राजनीति करके कॉंग्रेसी नेता भारत में अपना विलुप्त होता स्थान पुनः प्राप्त कर सकेंगे?

आजादी के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 35 में से 12 राज्यो (आंध्र और तेलांगना अलग नही हुए थे) में हिंदी राज्य की पहली भाषा है। पिछले 50 सालों में हिंदी बोलने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 1971 से 2011 के बीच हिंदी बोलने वालों की संख्या 20.2 करोड़ से बढ़कर 52.8 करोड़ हो गयी है। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य जैसे उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार व अन्य राज्यों की हिंदी प्रमुख भाषा है। दक्षिण भाषाओं की बात करें तो देश में तेलगु 6.7 प्रतिशत, तमिल 5.7 प्रतिशत और कन्नड़ मात्र 3.6 प्रतिशत लोगो की भाषा है। केंद्र की दो प्रमुख भाषाओं में हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी भाषा शामिल है। लेकिन आशा है कि आगे आने वाले समय मे हिंदी भाषा को ज्यादा वरीयता दी जाएगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने न्याय प्रणाली में हिंदी को सम्मिलित करने की बात की है। प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों के निर्णयों को जो कि अब तक अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत होते थे उन्हें स्थानीय भाषा में देने की पैरवी की है। न्याय जनता से जुड़ा होता है और जनता की भाषा में होना चाहिए ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके। निराशावादी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी के अतिरिक्त आप अन्य किसी भाषा में बहस नहीं कर सकते। जिसके लिए गरीब व्यक्ति को अंग्रेजी के ज्ञाता वकीलों को महंगी फीस चुकानी पड़ती है और साथ ही बहस के दौरान क्या चल रहा है वह भी पल्ले नहीं पड़ता।

भारत आजाद होने के बाद भी अंग्रेजी भाषा का गुलाम नजर आता है। कुछ तुच्छ मानसिकता वाले लोग अंग्रेजी बोलने वालों को पढ़ा लिखा व मॉडर्न मानते हैं और हिंदी बोलने वालों को छोटा व अनपढ़। अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद भी उनकी भाषा व पहनावे से हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। अपनी ही भाषा का अपमान करना हमें हमारी संस्कृति से भटकाता है। हमें हिंदी भाषा को उचित स्थान दिलाना होगा। हिंदी भाषा के बिना भारत की उन्नति संभव नहीं। कुछ लोगो को अंग्रेजी भाषा का कोई विरोध नहीं बस हिंदी से परेशानी है। हिंदी की इस दुर्दशा के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हिंदी का किसी अन्य भाषा से कोई विरोध नहीं है लेकिन हिंदी को अपना उचित स्थान मिलना चाहिए।

(लेखिका शिक्षिका हैं) ■

ISSN No. 2581-3528

'लाउडस्पीकर और राजनीति'

सेहत के लिए भी खतरनाक है 'स्पीकर'!

प्रतीक खरे

महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउडस्पीकर विवाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और बहस जारी है। राज्य सरकारें भी लाउडस्पीकर को लेकर एक्शन में है। कुछ राज्य सरकारें, जहां निष्पक्ष होकर कानून के दायरे में कार्यवाही कर रही हैं तो वहीं कुछ लोग इस पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं।

यह पहला मौका नहीं है जब लाउडस्पीकर को लेकर देश में विरोध हो रहा हो। समय–समय पर कई बार लोग लाउडस्पीकर को लेकर शिकायत करते रहे हैं और इसका विरोध भी किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य सरकारों ने राजनैतिक कारणों के चलते कभी भी इस पर न तो कोई ठोस कार्यवाही की और न ही कड़ाई से कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन ही करवाया।

वहीं ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि किसी को इतना शोर करने का अधिकार नहीं है जो उसके घर से बाहर जाकर पड़ोसियों और अन्य लोगों के लिए परेशानी पैदा करे। कोर्ट ने कहा था कि शोर करने वाले अक्सर अनुच्छेद 19 (1) ए में मिली अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की शरण लेते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर चालू कर इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी के पास बोलने का अधिकार है तो दूसरे के पास सुनने या सुनने से इनकार करने का भी अधिकार है। लाउडस्पीकर से जबरदस्ती शोर सुनने को बाध्य करना, दूसरों के शांति और आराम से प्रदूषणमुक्त जीवन जीने के अनुच्छेद–21 में मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 19 (1) ए में मिला अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों को हतोत्साहित करने के लिए नहीं है।

वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मस्जिद के परिसर से अज़ान के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अजान के लिए मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बावजूद इस पर राजनीति होती रही है और जारी है।

अब आप खुद ही विचार कीजिए जब 80–90 के डेसीबल (DB) की आवाज आप सुनेंगे तो इसका आपके शरीर आपके दिमाग और दिनचर्या पर क्या असर होगा। लाउडस्पीकर से धार्मिक स्थलों पर होने वाली अवाज को लेकर कई विद्यार्थी और मरीजों की शिकायतें भी सरकारों के पास आती रहती हैं। जहां लाउडस्पीकर पर अजान होने के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई

ISSN No. 2581-3528

में और मरीजों को सोने में दिक्कत होती है फिर भी पूर्व की सरकारें वोटबैंक की राजनीति के चलते गूंगी–बहरी बनी रहीं हैं।

ऐसी ही पीड़ा ट्विटर पर भी एक युवक ने सरकारी अधिकारियों को टैग करते हुए व्यक्त की थी। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र स्थित पुरबालियान गांव के निवासी गौरव सेन काकरान ने ट्विटर के माध्यम से मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी को अपनी शिकायत में बताया की उनके गांव में 13 मस्जिद हैं। 24 घंटे में 5 बार एक ही अजान कुल मिलाकर 65 बार जोर–शोर के साथ दोहराई जाती है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है और नींद में खलल पड़ता है।

यह न तो सिर्फ गौरव सेन की ही समस्या है और न ही अकेले पुरबालियान गांव की ही कहानी। देश में ऐसे कई गौरव सेन और कई पुरबालियान गांव है जहां लोग रोजमर्रा में लाउडस्पीकर की समस्या से जूझ रहे है। इसी बीच उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का काम जारी है।

उत्तर प्रदेश में 7 मई की सुबह तक 64,289 अवैध लाउडस्पीकर हटा दिए गए। वहीं प्रशासन की ओर से 57,433 लाउडस्पीकरों की आवाज तय मानक के अनुसार कराई गई। जिसमें मन्दिर मस्जिद दोनों शामिल है। बरेली जोन में सबसे अधिक लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। यहां प्रशासन ने 17,287 लाउडस्पीकर हटाए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय मानक से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाने के आदेश दिए थे।

वहीं लाउडस्पीकर को लेकर मुंबई से आए आकड़े आपकों एक बार जरूर विचार करने पर मजबूर करेगा। शहर में जहां लगभग 2,400 मंदिरों में से केवल 24 को ही लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति है, लेकिन मस्जिदों की बात करें तो देखेंगे कि 1,140 मस्जिदों में 950 को अधिकारियों ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की मंजूरी दे रखी है। 24 मन्दिर और 950 मस्जिद को मंजूरी देना एक बार राज्य सरकार के दोहरा चरित्र की और तो इशारा करती ही है।

सार्वजनिक लाउडस्पीकर पर क्या है नियम? : सार्वजनिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर से सामान्य तौर पर काफी तेज ध्वनि निकलती है। अलग–अलग रिपोर्ट बताती है कि जिस तरह के लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों में लगे होते हैं, उनसे करीब 100 से 120 डेसीबल साउंड पैदा होता है। Noise Pollution Rules 2000 में लाउडस्पीकर और सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि के स्तर पर तरह–तरह के प्रतिबन्ध लगाए गए है। इसके साथ सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए प्रशासन की मंजूरी को जरूरी किया गया है। इसमें नियम है कि सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी के पास बोलने का अधिकार है तो दूसरे के पास सुनने या सुनने से इनकार करने का अधिकार है। लाउडस्पीकर से जबरदस्ती शोर सुनने को बाध्य करना दूसरों के शांति और आराम से प्रदूषणमुक्त जीवन जीने के अनुच्छेद-21 में मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 19 (1) ए में मिला अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों को हतोत्साहित करने के लिए नहीं है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मस्जिद के परिसर से अज़ान के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अजान के लिए मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है।

औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डेसीबल, रात में 70 डेसीबल, कमर्शियल क्षेत्र में दिन में 65 डेसीबल, रात में 55 डेसीबल, अवासी क्षेत्र में दिन में 55 डेसीबल, रात में 45 डेसीबल और साइलेंट जोन (धर्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल आदि के 100 मीटर के दायरे में) के 10 दिन में 50 डेसीबल, रात में 40 डेसीबल से अधिक की ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि प्रदूषण के दायरे में आएगा।

वहीं राज्य सरकारों की बात करें तो उन्हें यह अधिकार होता है कि वो क्षेत्र के हिसाब से किसी को भी औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय या शांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। अस्पताल, शैक्षणिक संगठन और कोर्ट के 100 मीटर के दायरे में ऐसे कार्यक्रम नहीं कराए जा सकते, क्योंकि सरकार इन क्षेत्रों को शांत जोन क्षेत्र घोषित कर सकती है।

हमारे घर में जो बातचीत होती है, वह 30 डेसिबल के आसपास होती है। एक आदमी 20 डेसिबल से 85 तक और इससे अधिक 120 डेसिबल तक सुन सकता है जहां उसे समस्या पैदा होती है। लाउडस्पीकर आम तौर पर 80 से 90 डेसिबल आवाज पैदा करता है। इस से अधिक अवाज हमें चुभने लगती है।

ध्वनि प्रदूषण पर कितना जुर्माना? : Noise Pollution Rules 2000 में ध्वनि प्रदूषण पर 01 हजार से एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लाउडस्पीकर से तय लिमिट से ज्यादा ध्वानि निकलने पर 10 हजार का जुर्माना और लाउडस्पीकर को सीज करने का प्रावधान है। इसके साथ डीजे आदि से 10 हजार से एक लाख तक रुपये का जुर्माना (सब्जेक्ट टू साइट पर निर्भर यानि डीजे का साइज) और सीज करने का प्रावधान है।

सेहत के लिए कितना खतरनाक है तेज साउंड? : लाउडस्पीकर की तेज आवाज से मनुष्य को कई गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते है। साउंड कान के पर्दे पर टकराने से कान के पर्दे के हेयरसेल वाइब्रेट करते हैं और व्राइब्रेशन से करंट जनरेट होता है जो साउंड को मस्तिष्क तक पहुंचता है। इससे दो तरह के डैमेज हो सकते हैं। पहला फिजिकल डैमेज अगर 100 डेसीबल से ऊपर का साउंड कान के पर्दे पर पड़ेगा तो पर्दा लिमिट से ज्यादा वाइब्रेट करने पर फट सकता है।

दूसरा अगर तेज आवाज लगातार कान के पर्दे पर पहुंचती है तो हेयर सेल ज्यादा वाइब्रेट होकर डैमेज हो जाते है और साउंड को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट नहीं कर पाते जिससे कम सुनने की समस्या होती है। अगर पर्दा फटा है तो सर्जरी से सही हो सकता है लेकिन अगर हेयर सेल डैमेज हो गए है, आसान शब्दों में कहे कान की नस कमजोर हो गई हो तो उसको सही नहीं किया जा सकता। इसके साथ गभवर्ती महिलाओं में पल रहे गर्भस्थ शिशु को तेज साउंड बहुत इफेक्ट करता है।

(लेखक युवा पत्रकार हैं) ■

ISSN No. 2581-3528

योग और संगीत दोनों तनाव दूर करते हैं!

नीलम भागी

हमारे देश में साल का छठा सबसे गर्म महीना जून है। देश विदेश के विशेष दिनों और भारत में उत्सवों और महापुरुषों के कारण जून बहुत मुख्य है। इन सभी उत्सवों, व्रत और विशेष दिनों को मनाते हुए, हमें प्रयास करना चाहिए कि सामाजिक चेतना भी आए। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, इस दिन को मनाने का मकसद डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता लाना तथा आजीविका है। कुपोषण से बचना है इसलिए भोजन में डेरी प्रोडक्ट दूध आदि को शामिल करना है।

सिख समुदाय में गुरु परंपरा के पाँचवें गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस 3 जून को उनकी शहादत को याद करने के लिए मनाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पहले शहीद हैं। इन्होंने धर्म के लिए अपनी शहादत दी। इनके शहीदी दिवस पर जगह–जगह ठंडे शर्बत की छबीलें लगाई जाती हैं। गुरु जी ने सिखों को अपनी कमाई का दसवां हिस्सा धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित किया।

3 जून को विश्व साइकिल दिवस है। जिसका उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य, पर्यावरण बेहतर करने के लिए, समाज के सभी वर्गों में इकोफ्रैंडली साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना है। हमें साइकिल चलानी है। आस–पास के काम के लिए साइकिल का उपयोग करना है न कि साइकिल के फायदों पर भाषणबाजी करनी है।

5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया जाता है। साथ ही बच्चों को पेड़ लगाने और पर्यावरण को बचाने में आगे आने की अपील की जाती है।

पौधों में जीवन होता है। हमारे बुजुर्ग बिना विज्ञान पढ़े, रात को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते थे। तुलसी का विवाह करते थे। अब भी यह परम्परा चली आ रही है। लेकिन "विश्व भौतिक विकास की ओर तो तेजी से बढ़ रहा है, मगर प्रकृति से उतना ही दूर हो रहा है। पानी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जल संरक्षण करना है। पर्यावरण सुधार के लिए खूब पेड़ लगाए जाएं। राजस्थान में इंदिरा कैनाल बनने के बाद उसके आसपास खूब

पेड़ लगाये गये। अब उस इलाके में बारिश होती है।

अब 5 जून को पर्यावरण दिवस मनायेंगे लेकिन इकोफैंडली साइकिल नहीं चलायेंगे। न ही पेड़ पौधों की देखभाल करेंगे। हमें पर्यावरण में सुधार करना होगा जिससे हम स्वस्थ रहेंगे और अपने उत्सवों का आनन्द उठायेंगे।

विश्व खाद्य सुरक्षा : हमारे धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में 20 प्रतिशत भोजन फेंका जाता है। कुछ लोग जूठा छोड़ना शान समझते हैं। बड़े मॉल और स्टोर में खाद्य पदार्थ, फल सब्जियां डम्प में फेंके जाते हैं। चूहों द्वारा नष्ट किए जाते हैं। ऐसा न हो, इसके लिए 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है।

जून के पहले सप्ताह में शिमला समर फैस्टिवल मनाया जाता है। इस प्रसिद्ध त्यौहार में खेलकूद की गतिविधियां, फैशनेबल कपड़ों, हैंडिक्राफ्ट वस्तुओं और व्यंजनों, फूलों की, कुत्तों की प्रदर्शनी लगती है। हवा में कलाबाजियां और लाइव फैशन शो का प्रदर्शन होता है।

8 जून को महासागर का महत्व बताने के लिए विश्व महासागर दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2009 में की गई। गंगा दशहरा का पर्व हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के चलते मां गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। दशहरा का अर्थ 10 मनोविकारों के विनाश से है। क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता हैं। इस दिन गंगा जी में स्नान करना अपना सौभाग्य समझा जाता हैं। जहां पर जो भी नदी होती है श्रद्धालू उसकी पूजा अर्चना कर लेते हैं क्योंकि नदियां हमारी संस्कृति की पोशक हैं। कुछ दिन पहले जनकपुर धाम नेपाल गई तो वहां पर गंगा सागर झील पर शाम को गंगा जी की आरती में भाग लेना अपना सौभाग्य रहा। गंगा जी कितनी हमारे मन में समाईं हैं! जो दर्शनार्थियों का भाव हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा जी की आरती के समय, वहां होने से समां बंधता है, वैसा ही श्रद्धालुओं का भाव यहां लग रहा था। 9 जून को गंगा जी में स्नान करके गंगा जी के मंदिर में पूजा और दान करते हैं। 10 दिनों तक मनाये जाने वाले इस उत्सव के समापन के दिन को शुक्ल दशमी कहा जाता है।

हिंदू धर्म में 24 एकादशियों का बहुत महत्व है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसकी कथा में हिंदू धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता है, सबके योग्य नियमों की लचीली व्यवस्था भी करता है। महर्षि वेदव्यास ने पाडंवों को एकादशी व्रत का

ISSN No. 2581-3528

संकल्प कराया तो भीम ने कहा,''पितामह इसमें प्रति पक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। पर मैं तो एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में 'वृक' नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा?'' यह सुनते ही महर्षि ने भीम का मनोबल बढ़ाते हुए कहा,''आप ज्येष्ठ मास की निर्जला नाम की एकादशी का व्रत करो। तुम्हें वर्ष भर की एकादशियों का फल मिलेगा।'' इस एकादशी पर ठंडे शर्बत की जगह–जगह छबीलें लगाई जातीं हैं। जिसे पीकर भीषण गर्मी में राहगीरों को बड़ी राहत मिलती है। स्वयं निर्जल रह कर जरुरतमंद या ब्राह्मणों को दान दिया जाता है।

पानी हाटी में प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी को दही चूड़ा का विशेष भोज होता है जो 15 जून को है। इस वर्ष यह महोत्सव 12 से 16 जून तक चलेगा। 15 जून को 'दंड महोत्सव' का विशेष विधान है। जो 'दही चूड़ा महोत्सव' कहलाता है। इसमें अन्य संप्रदाय के अनुयायी भी शामिल होते हैं। 16 को संकीर्तन के कार्यक्रम के साथ इस महोत्सव का समापन होगा। बैंग्लोर एस्कॉन में भी इस उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालू भाग लेते हैं।

हर वर्ष जून पूर्णिमा के दिन जम्मू और कश्मीर के लेह में सिंधु दर्शन महोत्सव का तीन दिन 12 से 14 जून तक आयोजन किया है। जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी और घरेलू पर्यटक आते हैं। सिंधु दर्शन समारोह के आयोजन का मुख्य कारण सिंधु नदी को भारत के सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रतीक के रुप में समर्थन करना है। सिंधु दर्शन लेह के मुख्य शहर से 8 किमी. दूर स्थित शीला मनला में मनाया जाता है। यहां लगभग 50 वरिष्ठ लामा प्रार्थनाओं को अनुष्ठान के रुप में करते हैं। देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला भी प्रस्तुत की जाती है।

सागा दावा, सिक्किम के सबसे बड़े त्यौहार में से एक है। यह धार्मिक त्यौहार सिक्किम की संस्कृति को प्रस्तुत करता है। महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति को दर्शाता यह पर्व है। माना जाता है कि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और निर्वाण प्राप्त किया था। उनके इस सफ़र को दर्शाता यह उत्सव है। सागा दावा तिब्बत का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। 14 जून को इस उत्सव के दर्शक बनने के लिए टूर पैकेज भी तैयार किए जाते हैं।

15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध समाज सुधारक, कवि, संत का जन्म ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को हुआ था। जिसे कबीर प्रकाश दिवस के रुप में मनाया जाता है। कबीर अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के प्रथम विद्रोही संत हैं। जगह जगह होने वाले कार्यक्रमों में इनके दोहे गाए जाते हैं।

ओचिरा कलि मंदिर से जुड़ा केरल का एक वार्षिक उत्सव है। जो पुराने समय में हुई एक लड़ाई की याद में लोग मनाते हैं। जिसमें दो समूह कायाकुलम और अलाप्पुझा के बीच लड़ाई हुई थी। मलयालम में कलि का अर्थ खेल होता है। ओचिरा कलि में पुरुष और लड़के पानी से भरे धान के खेत में नकली लड़ाई करते हैं। संगीत मय यह लड़ाई प्रतिभागियों के शारीरिक कौशल का प्रदर्शन है। 15, 16 जून को इसका आनन्द उठाने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं। यहां की अनोखी रस्म है बैलों की पूजा क्योंकि शिव का वाहन नंदी बैल है।

ओडिशा में राजा संक्रांति समारोह मानसून के शुरुआत का तीन दिवसीय उत्सव है। इसे' स्विंग फेस्टिवल' भी कहते हैं। जगह–जगह पेड़ों पर झूले जो पड़ जाते हैं। त्यौहार के दौरान लोग पृथ्वी पर नंगे पांव भी नहीं चलते। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मानसून की बारिश से पहले पृथ्वी को आराम दिया जाना चाहिए। महिलाएं घर के काम से छुट्टी लेतीं हैं और किसान खेती से। सब खेलों में व्यस्त रहते हैं। लड़कियां पारंपरिक पोषाक पहनतीं हैं और पैरों में आलता लगातीं हैं। दूसरे दिन को ''सजबजा'' कहते हैं। इसमें सिलबट्टे को सजा कर रखते हैं। हिंदू देवी धरती के प्रतीक सिल को हल्दी का लेप लगा कर महिलाओं द्वारा स्नान कराया जाता है। धरती मां को फलों का भोग लगाया जाता है। बारिश का स्वागत करने के लिए सब एक साथ आते हैं। समापन 15 जून को, धरती मां के आशीर्वाद स्वरुप अच्छी पैदावार होगी।

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस : भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का रिकार्ड 175 सदस्य देशों द्वारा समर्थन किया गया। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रुप में घोषित किया गया। इसका उद्देश्य योगाभ्यास करने के लाभ के बारे में विश्व की जागरुकता बढ़ाना है।

योग और संगीत दोनों तनाव दूर करते हैं। हमारे मन को शांत रखते हैं। कहते हैं संगीत हर मर्ज की दवा है। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए म्यूजिक थैरेपी बहुत कारगर है।

संगीत की विभिन्न खूबियों की वजह से विश्व में एक दिन संगीत के नाम है। 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय संगीत दिवस मनाया जाता है। संगीत के बिना उत्सव कैसा! संगीत हमें सुकून पहुंचाता है।

खारची पूजा के उत्सव में पूर्वोतर भारत के त्रिपुरा राज्य में 14 देवताओं की पूजा की जाती है। अगरतला में स्थित 14 देवताओं को समर्पित मंदिर में एक सप्ताह तक अनुष्ठान किया जाता है। यह भी देवताओं के साथ धरती पूजन है। इन दिनों धरती की जुताई नहीं की जाती है। 14 देवताओं की मूर्ति को सैदरा नदी में डुबकी लगाने ले जाते हैं। डुबकी लगाने के बाद अनुष्ठान करके उनको फूलों और माथे पर सिंदूर से सजा दिया जाता है। यह त्यौहार आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों समुदायों द्वारा 22 जून को मनाया जायेगा।

आंबुची मेला : यह तीन दिन तक चलने वाला मेला गुवाहटी में मनाया जाता है। तीन दिन कामाख्या मंदिर बंद रहता है। तीन दिनों बाद, चौथे दिन देवी की प्रतिमा को नहलाया जाता है और भक्त मां के दर्शन के लिए आ सकते हैं। 22 जून को यह मानसून वार्षिक मेला लगेगा।

23 जून को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन खेल और फिटनेस को समर्पित है।

गोवा में साओ जोआओ 24 जून को मानसून आगमन के साथ ही में खास तौर पर मछुआरा समूह मनाते हैं। नांच गाना और तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रमों द्वारा आपस में एन्जॉय करते हैं। ये फैस्टिवल यहां का खास आकर्षण है।

जून की भीषण गर्मी में हमारे उत्सव हमें यात्रा, संगीत, स्वास्थ और पर्यावरण का महत्व समझाते हुए हमसे मानसून का स्वागत भी करवाते हैं।

(लेखिका, जर्नलिस्ट, ब्लॉगर, ट्रैवलर हैं)

ISSN No. 2581-3528

इस्लाम के नाम पर मुर्तजा जान देने को हुआ तैयार

आशीष कुमार 'अंशु'

बात रविवार (3 अप्रैल) की है, जब देर रात 30 साल के आईआईटी स्नातक अहमद मुर्तजा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की थी। इस कोशिश के दौरान जब मंदिर परिसर की सुरक्षा में लगे जवानों ने उसे रोकने की कोशिश की तो पलटकर उसने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। जिससे पीएसी के दो जवान घायल हो गए। हालांकि अन्य सुरक्षाकर्मियों ने उसे फौरन पकड़ लिया और हमले में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार जब्त कर लिया। गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास भी है। हालांकि हमले के वक्त वह मंदिर परिसर में मौजूद नहीं थे।

जब वह एटीएस की गिरफ्त में आ गया, उसे लेकर रोज कोई ना कोई खुलासा होने लगा। गोरखनाथ मंदिर पर आतंकी हमला करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी सीरिया के आतंकी संगठनों के संपर्क में था। वह भारत से समय निकाल नेपाल चला जाता था। वहां नेपाली मदरसों में बैठकर वह जिहादी तकरीर सुनता था। जब आतंकी यू ट्यूब वीडियो सर्च का इतिहास देखा गया तो पाया गया कि वह जिहाद से संबंधित वीडियो देखने के अलावा जिहादी विचारधारा वाले धार्मिक नेताओं के वीडियो सर्च करता था। इसके अलावा वह 'लोन वुल्फच' अटैक के वीडियो भी देखता था। वह अकेले दम पर मंदिर परिसर में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने का इरादा लेकर गोरखपुर मंदिर पहुंचा था लेकिन पीएसी जवानों की सूझबूझ से कोई बड़ा नुकसान होने से टल गया।

आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी यूपी के गोरखपुर के ही सिविल लाइंस में रहने वाले मुनीर अहमद का बेटा है। जबकि उसका घर अब्बासी नर्सिंग होम के पास में है। मुर्तजा ने आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके अलावा पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी के पिता भी इंजीनियर हैं। जानकारी के मुताबिक, मुर्तजा का परिवार पहले मुंबई में ही रहता था, लेकिन अक्तूबर 2020 में वह गोरखपुर आकर सिविल लाइंस में बस गया।

आरोपी के पिता का कहना है कि अहमद मुर्तजा अब्बासी की दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही है। वह देर शाम से ही घर से लापता हो गया था और परिवार के लोग उसकी

तलाश कर रहे थे। उधर मुर्तजा ने जो बयान दिया है, उसे सुनकर तो यही लगता है कि आतंकी को बचाने का कोई खेल खेला जा रहा है। उसने अपने बयान में बताया है कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा था, सीएए–एनआरसी भी गलत है, इन बातों से बहुत गुस्सा आया और इसी गुस्से में गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर दिया।

एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है। उसने हमले के पीछे की वजह भी बताई। ऐसे में उसे मानसिक रोगी बताए जाने का जो प्रयास चल रहा है, वह सिर्फ कानूनी दांव पेंच से आतंकी को बचा लेने का प्रयास मात्र जान पड़ता है। उसने जिस तरह की बात एटीएस के सामने स्वीकार की है, उसे पढ़कर ऐसा ही लगता है कि वह कट्टरपंथियों का शिकार हुआ। उन्होंने किस कदर उसका ब्रेनवाश किया था, उसके बयानों से ही स्पष्ट हो जाता है।

मुर्तजा के साथ पूछताछ का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में वह कहता हुआ दिखाई देता है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। वह विक्टिम कार्ड खेल रहा है। वह कहता है कि सीएए और एनआरसी भी गलत है। इससे मुसलमानों के साथ गलत किया जा रहा है। वह कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को भी गलत बताता है। यह सारी बाते कहने के बाद, वह खुद से कहता है कि किसी न किसी को कुछ करना होगा। यह सारी बातें कोई ब्रेन वाश किया हआ व्यक्ति ही कर सकता है। वह कहता है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया। उसके बाद अपना गुनाह वह कुबूल करता है – मैंने यह सब किया। उसकी कार्रवाई बदले की कार्रवाई थी। वह सोच समझ कर आतंकी हमले को अंजाम देने पहुंचा था। वह मुसलमानों के लिए यह कर रहा है, यह ब्रेनवाश कर उसके दिमाग में डाला गया। जो यह सारी बातें उसे सीखा रहा था, मुर्तजा को पलट कर उसे कहना चाहिए था, कि तुम मेरी जिन्दगी क्यों जोखिम डालते हो? अल्लाह क्या तुम्हारा नहीं है? तुम क्यों नहीं डालते अपनी जान जोखिम में? मुर्तजा का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, यह बात मानने वाली नहीं है। इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि उसे इस्लाम और मुसलमान के नाम पर कुछ मुसलमानों ने ही इस्तेमाल कर लिया।

मुर्तजा के बयानों को पढ़कर लग रहा है कि उसे कितना कट्टर बनाने का काम किया गया है। उसका इस्लाम और मुसलमान के नाम पर इतना दिमाग खराब किया गया था कि उसे ना अपने अम्मी और अब्बा की फिक्र रही और ना ही अपनी जान की। मुर्तजा ने जो कुछ बताया है, उसके बाद आतंकी संगठनों से उसके संपर्क की बात में क्या संदेह रह जाता है? एक दूसरे वीडियो के सामने आने के बाद मुर्तजा के मामले को संभव है कि सुरक्षा एजेन्सियां अधिक गंभीरता से लेगी। नए वीडियों में आईएसआईएस से जुड़े एक आतंकी के हाथ में वैसा ही हथियार देखा गया, जैसा मुर्तजा के हाथ में था।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं) ■

ISSN No. 2581-3528

देश का वर्तमान परिदृश्य

डॉ. वेद प्रकाश शर्मा

देश का वर्तमान परिदृश्य बहुत ही भयावह प्रतीत हो रहा है। विगत विभाजन की त्रासदी जैसा वातावरण बनाया जा रहा है और विघटनकारी शक्तियों के तांडव का समर्थन कुछ तत्कालीन राजनीतिक दल कर रहे थे और इस कार्य में नए दल भी सम्मलित हो गये हैं। शिव सेना जैसा दल भी अब इसी जमात में सम्मलित हो गया है। विचारणीय यह है कि जब देश के संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है तो उसमें बहुसंख्यक वर्ग भी आता है तो क्या बहुसंख्यक के साथ कुछ भी हो, इसका कोई महत्व नहीं? बेशक उन पर कितने भी अत्याचार हों, उनके घर जले, उन्हें लूटा जाए या उन के धार्मिक अधिकारों पर हर तरह से चोट पहुंचाई जाए, तो भी कुछ नहीं होता। जबकि भारत में अल्पसख्यक समुदाय में यदि कहीं किसी को कोई छींक भी आ जाये या उसे कांटा भी लग जाये तो उस पर भी राष्ट्रीय बहस शुरू हो जाती है। कुछ प्रेस और कुछ तुष्टिकरण की नीति पर चलने वाली पार्टियां बवाल मचा देती हैं और अल्पसंख्यक समाज के साथ अनायास घटी छोटी–मोटी घटना का भी बीजेपी और आरएसएस से बिना बात का जबरदस्ती संबंध बता दिया जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि कुछ लोगों की मानसिकता जो भारत विभाजन के समय थी, वह आज भी उसी तरह सिर उठा रही है और उनके मंसूबे भी आज वैसे ही बन रहे हैं और दिख रहे हैं जैसे उस समय थे।

इसका सीधा प्रमाण तौकीर रजा का ताजा बयान इसी क्रम में है और अब स्पष्ट रूप से चारों ओर दिख ही रहा है देश के अनेकों महत्वपूर्ण राज्यों जिन में गुजरात, झारखंड, पश्चमी बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्री रामनवमी उत्सव के दौरान जिस तरह हिन्दू अस्मिता पर चोट की गई, यह वही सन सैंतालीस वाले दृश्य की पुनरावृत्ति हैं। देखा यह भी जा रहा है कि हिन्दुओं के त्योहारों या उत्सव पर मुसलमानों द्वारा कुछ ना कुछ शरारत करना वे अपना धर्म समझते हैं। जिस तरह से बंगाल में कई वर्षों से जबसे ममता की सरकार आई है और उस से पूर्व भी तब से ही कभी पूजा पंडालों में उपद्रव करना, मूर्ति विसर्जन के जुलूस को रोकना, इसी तरह वहां पर हिंदुओं के अन्य उत्सवों में बाधा डालना, और बाधा ही नहीं डालना उन पर आक्रमण करना, आगजनी करना, लूटपाट करना और हत्या करना आम बात है।

इसी तरह का फार्मूला देश के अन्य प्रदेशों में उन लोगों द्वारा लागू किया जा रहा है जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के कारण तुष्टीकरण की पराकाष्ठा के तहत रामनवमी के जुलूस पर जिस तरह से योजना पूर्वक हमला किया गया और उसके बाद लूटपाट आगजनी की गई वह कितना भयावह है और इसी तरह झारखंड में हुआ और इसी तरह मध्य प्रदेश में भी हिन्दुओं की शोभा यात्रा पर हमला हुआ और ठीक इसी तरह गुजरात के जुनागढ़ में भी हिन्दुओं की शोभायात्रा पर पत्थर फेंके गए, बाधा डाली गई, आगजनी की गई तो क्या हिन्दुओं को इस देश में रहने का, उत्सव मनाने का, त्यौहार मनाने का कोई अधिकार अब नहीं रहा। क्योंकि अभी तो वह सोलह प्रतिशत ही हुए हैं और जब वे बीस या पच्चीस प्रतिशत हो जाएंगे तब क्या होगा? वह स्थिति भी, इन लूट आगजनी और हत्या के प्रकरणों से सामने दिखाई दे रही है। जिस तरह से कश्मीर में हुआ। वह अन्य स्थानों पर नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी है? कश्मीर फाइल्स फिल्म का विरोध आम आदमी पार्टी ने विधान सभा में किया। उसने हिन्दुओं के नरसंहार का जिस तरह से उपहास किया यह इतना ही शर्मनाक उन तथाकथित बुद्धिजीवी, मानवाधिकारियों व राजनीतिक पार्टियों के लिए भी है, जो हिन्दुओं को मानव न समझकर एक हतप्रभ या डरपोक समझ रहे हैं। परंतु उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जब तक हिंदू समाज यहां हैं तभी तक वे सुरक्षित हैं और यदि यहां पर विपरीत मत के लोगों का बहुमत हुआ तो जो अफगानिस्तान का हाल हुआ है या दूसरे इस्लामिक देशों का हाल हुआ है वैसा ही हाल यहां भी होने में अब देर नहीं है। परंतु उन तथाकथित बुद्धिजीवियों को यह समझ नहीं आ रहा कि वे भी उसी तरह असुरक्षित होंगे जिस तरह से दूसरे हिंदू आज मुस्लिम इलाकों में असुरक्षित हैं। यह बात इतनी आसान नहीं है।

यह बहुत गंभीर विषय है कि ऐसा बार–बार क्यों होता है? देश के तीन विश्वविद्यालय जामिया मिलिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय ही बार–बार विवादों का केन्द्र बनते हैं क्योंकि वही से वह देश विरोधी मानसिकता विकसित हुई थी जो भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार थी। आज भी वहीं से वह फिर से सिर उठ रहे हैं। साथ ही तथाकथित दीनी तालीम के नाम पर जो परोसा जा रहा है वह भी उतना ही जिम्मेदार है। यदि कोई राष्ट्रवादी विचारधारा का मुसलमान भारतीय संस्कृति और यहां के इतिहास का समर्थन करता है तो उस पर भी विभिन्न प्रकार से अत्याचार किए जा रहे हैं। बीजेपी समर्थक बाबर की हत्या इसी का प्रतीक है। निदा खान को बेइज्जत करना इसी का प्रतीक है, मुस्लिम डॉक्टर के द्वारा आरएसएस के जुलूस पर फूल बरसाने पर जान से हाथ धोने की धमकी इसी का प्रतीक है। क्योंकि ऐसे अन्य उदाहरण बहुत स्थानों पर मिलते हैं कि शकील ने अपने घर पर बीजेपी का झंडा क्यों लगाया। तो क्या यह सहिष्णुता केवल हिन्दू समाज के लिए ही है? या वह कब तक इसको ढोएगा? जबकि दूसरे लोग अपनी नफरत की पराकाष्ठा को पार किए जा रहे हैं। वे बड़ी योजना से अपने आप को पीड़ित दिखाते हैं परंतु पीड़ित दूसरों को करते हैं। जब इस पर उनसे यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो वे तथा राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को भटकाने के लिए आरोप यह लगाती है कि बीजेपी मुद्दे को भटका रही है। वह महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करती। उनसे यह पूछा जाए कि क्या मानवता या मानवीय अधिकार इस देश में हिंदुओं के लिए नहीं है? क्या उन के साथ अत्याचार और अनाचार चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए? उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। परंतु वह इस पर न ही चर्चा करते हैं और न ही करने देते हैं। क्योंकि इससे उन का एजेंडा उजागर होता है। इसलिए वे पहले ही सताए जाने का शोर करने लगते हैं। स्वयं दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। वे आगजनी और हत्या करते है और खुद यह इस्लामिक कानून और अपना मत सब पर जबरदस्ती लादना चाहते हैं। तो क्या इस सबको यह देश बर्दाश्त करता रहेगा? क्या उनका वह सैंतालीस वाला विभाजनकारी मुद्दा अब फिर से उठेगा? इस देश में तो अब शायद यह नहीं हो पाएगा क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है, जो मानवता के अपराधियों के साथ कठोरता से निपटेगी। जो सरकारें या जो पार्टियां इसके साथ नरमी दिखाएंगी और देश को विभाजन की ओर ले जाने के उनके मंसूबे को पूरे नहीं होने देगी।

आज समाज जागरूक हो रहा है और हमें इस जागरुकता में अपना सहयोग निश्चित रूप से देना होगा। तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे और देश भी सुरक्षित रह पाएगा। परन्तु हिन्दू को अब यह भी सोचना है कि आखिर वह कब तक इसी तरह पिटेगा और कब तक सरकार की ओर देखेगा? उसे स्वयं समर्थ बनना ही पड़ेगा नहीं तो निश्चित ही हिन्दुओं का अस्तित्व समाप्ति की ओर होगा। साथ ही सत्य को समझ कर जो समझदार लोग इस दकियानूसी सोच को त्याग रहे हैं, हमें उन बिछुड़े बंधुओं का भी खुले मन से स्वागत करना है। तभी विश्व में मानवता सुरक्षित हो पाएगी और शान्ति स्थापित होगी।

(लेखक साहित्यकार हैं)

मीडिया सुर्खियां (21 अप्रैल, 2022 - 20 मई,2022)

21 अप्रैल : CBI ने आज छह राज्यों में छापेमारी की और जम्मू–कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर दो प्राथमिकी दर्ज कीं।

22 अप्रैल : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए कहा कि जब तक टैक्नोलॉजी का ज्ञान एक कांस्टेबल स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम आधुनिक अपराधियों से निपटने में सक्षम नहीं होंगे।

24 अप्रैल : आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू–कश्मीर के दौरा किया जहां वह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए।

25 अप्रैल : सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 16 ल्वनज्नइम चौनलों को ब्लॉक कर दिया है। इसमें 10 भारतीय और 6 पाकिस्तान के हैं। इन पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने का आरोप है।

27 अप्रैल : जगद्गुरु परमहंसाचार्य को ताजमहल में प्रवेश नहीं करने का मामला सामने आया है। जगद्गुरु ने कहा कि वे भगवा कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में ब्रह्म दण्ड था इसलिए उन्हें नहीं जाने दिया गया।

28 अप्रैल : भारतीय नौसेना और अंडमान और निकोबार कमांड ने एंटी शिप ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की स्पीड ध्वनि की गति से तीन गुना आधिक है।

29 अप्रैल : BHU में एक बार फिर JNU जैसी साजिश का खुलासा हुआ है। यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी की गई तो छात्र भड़क गए और हनुमान चालीसा लेकर विरोध किया। इससे पहले BHU की दीवारों पर नफरती नारे लिखे गए जिनको बाद में मिटा दिया गया। सवाल ये है कि आखिर BHU में बवाल कौन कराना चाहता है।

30 अप्रैल : गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ISIS प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट मेहंदी मशरुर विश्वास के संपर्क में था।

01 मई : PM नरेंद्र मोदी ने कनाडा के सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर कहा कि यह भारत–कनाडा संबंधों का प्रतीक होगा।

02 मई : राजकीय मदुरै मेडिकल कॉलेज के MBBS प्रथम वर्ष के छात्रों ने दीक्षा समारोह के दौरान पहली बार हिप्पोक्रेटिक शपथ की जगह 'महर्षि चरक शपथ' ली। हालांकि इस पर तमिलनाडु सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी जाहिर की है।

03 मई : देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेनदेन की संख्या बढ़ रही है। UPI सर्विस साल 2016 में शुरू हुई थी। वित्तीय वर्ष 2021–22 में यूपीआई के जरिए लेनदेन मूल्यों का आंकड़ा 1 ट्रिलियन डॉलर के पार चला गया। अप्रैल 2022 में यूपीआई के जरिए 9.83 लाख करोड़ रुपये के 558 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए।

04 मई : यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गाजियाबाद की तत्कालीन जिलाधिकारी निधि केसरवानी को दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस–वे के लिए जमीन अधिग्रहण में हुई अनियमितता में संलिप्तता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

05 मई : महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे द्वारा लाउडस्पीकर को लेकर दिए गए अल्टीमेटम के बाद मुंबई में परमिशन के नए आंकड़े सामने आए हैं। मुंबई पुलिस के अनुसार शहर के करीब 2,400 मंदिरों में से 24 को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। जबकि 1,140 मस्जिदों में से 950 मस्जिदों को लाउडस्पीकर इस्तेमाल की मंजूरी मिली है।

06 मई : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है।

07 मई : तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं पर अंकुश लगाने के लिए नया फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को चदोरी (सिर से पैर तक बुर्का) पहनना होगा क्योंकि यह पारंपरिक और सम्मानजनक है

09 मई : शाहीनबाग के अतिक्रमणकारियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। CPM ने MCD एक्शन के खिलाफ याचिका वापस ली।

10 मई : जम्मू–कश्मीर में अलग–अलग मुठभेड़ों में दो आतंकवादी और एक नागरिक की मौत हो गई जबकि एक सैनिक सहित दो अन्य घायल हो गए।

11 मई : राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस पर पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह कानून 100 साल पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दबाने के लिए लाया गया था। अब इसका महत्व खत्म हो चुका है क्योंकि भारत आजाद देश है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने के लिए इस कानून का लगातार दुरुपयोग किया गया।

12 मई : जम्मू–कश्मीर के बडगाम के चदूरा इलाके में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट की गोली मारकर हत्या कर दी।

14 मई : दिल्ली के मुंडका में भीषण अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। इस हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, सीएम केजरीवाल सहित तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया है।

15 मई : भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने इतिहास रचते हुए 73 साल में पहली बार थॉमस कप खिताब जीता। भारत ने फाइनल में 14 बार की चौंपियन इंडोनेशिया को 3–0 से मात देकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

16 मई : जम्मू–कश्मीर सरकार ने कश्मीर विश्वविद्यालय के लगभग एक दर्जन शिक्षकों और गैर–शिक्षण कर्मचारियों को उनके कथित आतंकी संबंधों के कारण बर्खास्त किया।

17 मई : इंटरबैंक विदेशी मुद्रा में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 77.67 पर खुला। इसके बाद यह 77.69 पर और नीचे गिर गया। पिछले कारोबारी सत्र के बंद भाव के मुकाबले इसमें 14 पैसे की गिरावट दर्ज की गई।

18 मई : दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत 22 मई से तीनों नगर निगमों को मिलाकर कर एक कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

19 मई : ज्ञानवापी मस्जिद पर दूसरी सर्वे रिपोर्ट अदालत को सौंप दी गई है। यह सर्वे रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने तैयार की है। इस दूसरे सर्वे रिपोर्ट में भी ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बात कही गई है।

20 मई : भारत ने 5G की दिशा में अहम कदम बढ़ा दिया है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास में सफलतापूर्वक 5G कॉल की।

– संयोजन : डेस्क ■

पत्रिका के मई अंक की समीक्षा

पत्रकारिता को समर्पित केशव संवाद पत्रिका का मई अंक 'पत्रकारिता कल, आज और कल' प्रबुद्ध लेखकों के समृद्ध अनुभवों को समाहित करता हुआ प्रभावशाली अंक है। इसमें सबसे पहले लेख 'भारतीय पत्रकारिता में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि' में डॉ. आनन्द पहारिया जी लिखते हैं कि पत्रकारिता का आरम्भ उदन्त मार्तण्ड से माना जाता है और साहित्य संस्कृति का समावेश पत्रकारिता में होता है। 'स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय पत्रकारिता' पर डॉ. वेद प्रकाश जी ने पत्रकारिता के उदय तथा स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका का वर्णन किया है। पत्रकारिता का लक्ष्य व स्वतंत्रता के बाद की भारतीय पत्रकारिता पर प्रकाश डाला है विजय शर्मा जी ने। आपातकाल के समय पत्रकारिता की स्थिति की विवेचना की है प्रो. अरुण कुमार भगत जी ने। भारतीय पत्रकारिता और उसका बदलता स्वरूप पर विचार व्यक्त किए है प्रतीक खरे जी ने। समाचार पत्रों में भारतीय चिंतन एवं दृष्टि पर प्रकाश डाला है डॉ. रामशंकर जी ने। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के भविष्य पर अपनी प्रतिक्रिया दी है शशिकुमार जी ने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद पत्रकारिता के स्वरूप एवं विकसित तंत्र पर विचार व्यक्त किये हैं अनुराग सिंह जी ने। बहुत महत्वपूर्ण विषय 'टीआरपी के जाल में फंसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया' पर प्रकाश डाला है अमित शर्मा जी ने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विस्तृत स्वरूप, उसकी संभावनाएं और चुनौतियों को बताया है डॉ. ओमशंकर जी ने। भारत में नवीन मीडिया तकनीकी के आगमन और प्रसार के फलस्वरूप 'कैसा होगा डिजीटल मीडिया का स्वरूप' पर विचार व्यक्त किए है डॉ. धीरज कुमार जी ने। नागरिक पत्रकारिता की आवश्यकता और चुनौतियों पर प्रकाश डाला है डॉ. विनीत उत्पल जी ने। सूचना से मीडिया ट्रायल और मीडिया ट्रायल से टूल तक विषय पर कई घटनाओं के साथ तथ्यपरक वर्णन किया है डॉ. नीरज कर्ण सिंह जी ने। पत्रकारिता और बाजारवाद पर अपने विचार व्यक्त किये हैं डॉ. भवानी शंकर जी ने।

वर्तमान में एजेंडा आधारित पत्रकारिता से समूचा मीडिया जगत अपनी नैतिक जिम्मेवारी को लेकर सवालों के घेरे में फंस कर रहा गया है इन्हीं बातों को इंगित किया है डॉ. मुक्ता मर्तोलिया जी ने। 'न्यूज बनाम फेक न्यूज विश्वसनीयता पर सवाल' विषय पर विचार व्यक्त किये हैं डॉ. श्रद्धा पुरोहित जी ने। भारतीय पत्रकारिता के बढ़ते कदम पर प्रकाश डाला है प्रो. राज मिश्रा जी ने। भविष्य की पत्रकारिता में नैतिकता विषय पर डॉ. योगेन्द्र कुमार पाण्डेय जी लिखते हैं कि भविष्य की पत्रकारिता में नैतिकता की बात करें तो अब तक इतिहास में यह स्पष्ट हो चुका है, जिस मीडिया की पंहुच जितनी तेजी से लोगों तक पहुंची, उसकी विश्वसनीयता में उतनी गिरावट दर्ज की गई। पत्रकारिता जगत में वन मैन आर्मी के दौर के आने के कारणों को बताया है डॉ. अरविन्द कुमार पाल जी ने। अन्त में मीडिया सुर्खियों का संयोजन प्रतीक खरे जी द्वारा किया गया है।

-संयोजनः डॉ. प्रियंका सिंह

प्रेरणा विमर्श 2020 के अवसर पर केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक सिने विमर्श और भारतीय विरासत का विमोचन करते
लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिडला जी, गोवा की पूर्व राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा जी,
उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह जी व अन्य अतिथिगण

केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक अन्त्योदय की ओर का विमोचन करते सह सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबले जी,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वरिष्ठ लेखिका अद्वैता काला जी व अन्य अतिथिगण

केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक पत्रकारिता के अग्रदूत का विमोचन करते उत्तर प्रदेश के मा.राज्यपाल श्री राम नाईक जी,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संघचालक श्री सूर्यप्रकाश टोंक जी, माखनलाल चतुर्वेदी विवि. के पूर्व कुलपति
श्री जगदीश उपासने जी व अन्य अतिथिगण